

To,
The ICH-Deptt.
Sangeet Natak Academy
New Delhi

egksn;]

vkids }kjk Hksts x;s bZ&esy ds lanHkZ esa gekjh ifj;kstuk
^^voXkgu&ekVh dh egd ls **¼ fo"k;%& /kksfc;k] dgjmok] >kafx;k u`R;
,oa fcjgk xk;u ds lanHkZ esa iwohZ m0iz0 dh yksd laLd`fr ij 'kks/k ,oa
izys[ku] laj{k.k ,oa fujUrjrk ds fy, leFkZu dk;ZØe½ dk fooj.k izLrqr gSA
lanHkZ i= la[;k&

28-6 / ICH- Scheme / 65 / 2013-14 / 13650 Dt. 31-03-2014.

INTRODUCTION & OBJECTIVE ¼ifjp; ,oa mn~ns'; ½

'kh"kZd & ^^voXkgu&ekVh dh egd lsA**

¼ fo"k;%& /kksfc;k] dgjmok] >kafx;k u`R; ,oa fcjgk xk;u ds lanHkZ esa
iwohZ m0iz0 dh yksd laLd`fr ij 'kks/k ,oa izys[ku] laj{k.k ,oa fujUrjrk ds
fy, leFkZu dk;ZØeA½

ifj;kstuk ds fo"k; esa dqN 'kCn %&

izLrqr ifj;kstuk ds fy, tks fo"k;@foèkk p;fur gS] og m0iz0 ds iwohZ ftyks
dh ikjaifjd yksd laLd`fr gSA /kksfc;k u`R;] >kafx;k vkSj dgjmok u`R; ,oa
fcjgk xk;u /kksch] dgkjksa ,oa ,sls gh Jfed lekt dh ikjaifjd yksd fo/kk;s
gSA HkkSfrdrkoknh thou] vk/kqfudhdj.k dk va/kkuqdj.k tSlS dkj.kksa ls
bl lkaLd`frd ijaijk ls dVko ;k nqjko dh fLFkfr ds dkj.k mijksDr fo/kk;s ;k
rks foyqIr izk;% gksus ds dxkj ij gS ;k muds 'kq)rk vFkok viuh ewy ijaijk
ds Lo:i es fxjkoV vk xbZ gSA dkj.k Li"V gS vkt dk xkao igys tSlk ugha gS
vkSj 'kgjh jgu&lgu] QS'ku rFkk ekufldr xzkE; thou ij gkoh gks xbZ gSA
viuh fojklrh Fkkrh ¼yksd u`R;&yksd laxhr½ dk voewY;u rsth ls gks jgk
gSA viuh yksd&laLd`fr ds ikjxrk cgqr ls dydkj ;k rks bl thou ls bgyhyk
lekIr dj pqds gS ;k dkQh cw<s gks pqds gSA mudh vxyh ih<h viuh ikjaifjd
yksd laLd`fr dk vH;kl djus esa 'keZ eglwl djrh gS] D;ksafd os 'kgjh thou

viukus dh bPNk j[krs gS vkSj ikjaifjd laLd`fr ds u`R; dks finMsiu ;k xokajiu dh fu'kkuh le>rs gSA ,sls esa bl Fkkrh dks bldh yksd Hkk"kk ds Lo:i dks cpk;s j[kus dh vko';drk vfregRoiw.kZ gSA izLrq ifj;kstuk dk ;gh vHkh"V gSA

IMPLIMENTATION ¼fØ;kUo;u ½

- (i) vkosfnr ifj;kstuk dh fo/kk;sa /kksfc;k u`R;] >kafx;k ,oa dgjmok u`R; rFkk fcjgk xk;u ds ,sls tkudkjksa dh [kkst tks blds ikjaifjd Lo:i ds gks vFkok 'kq)rk ds djhc vo'; gksA
- (ii) gekjs ifj;kstuk dk vHkh"V ;g gS fd ge xkao xkao esa iqjkuh ijaijk ds laokgdk dks <w<sa vkSj mlds vk/kkj ij vius dk;Z dks ewrZ :i nsaA

blds fy, iqjkus le; ls fu;fer :i ls tks dydkj ,oa ny viuh ijaijk ls bu fo/kkvksa dks viuk;s gq, gS] ,sls fu;fer ;k is'ksoj dydkjksa es ls dqN dks ¼tks viuh ijaijk ls blds ewy Lo:i ds laokgd gks vkSj xkaoks ds mu xzkeh.k dydkjksa tks viuh lkekftd jhfr fjoktks ds dkj.k lkekftd urZd ;k yksd dydkj gS] dks bl ifj;kstuk ds dk;ksZ dh iwfrZ dk vk/kkj cuk;k tkuk gSA

mi;ZqDr dks /;ku es j[krs gq, fuEu dk;Z fd;s tkus gSa &

- 1- iwohZ m0iz0 fo'ks"kr;k dk;Z{ks= tuin vktex< ,oa vkl ikL ds {ks=kssa ds vf/kd ls vf/kd xkaoks esa bu ikjEifjd fo/kkvksa /kksfc;k] >kafx;k] dgjmok ,oa fcjgk ds tkuus okyksa dh [kkstA
- 2- mues ls Js"B 10 ls 20 VqdfM+;ks dk p;u] ftls vkxs ds dk;Z dk vk/kkj cuk;k tkuk gSA
- 3- p;fur VqdfM+;ks@lkekftd urZdks@yksd dydkjksa ds ek;/e ls lacf/kr yksd fo/kk ¼ /kksfc;k] >kafx;k] dgjmok ,oa fcjgk ½ dk v/;;uA

- i. mDr fo/kkvksa dk ikjEifjd Lo:i ;Fkk izLrqfrdj.kA u`R; dSls fd;k tkrk gS \ ikjEifjd okn~; bR;kfn] foLr`r o.kZu dk izys[kuA lacf/kr tkudkjksa ls foLr`r ckrphr vkSj mudk izys[ku ckrphr dh fofM;ks fjdkfMZxaA

- ii. laEcfU/kr QksVksxzkQh ¼Nk;kfp=ksa dk laxzg½
- iii. muds ijQkesZal dh fofM;ks fjdkfMZx ,oa ml lac/k esa tkudkjks dk er@fVlif.k;kaA
- iii. mDr fo/kk ds leFkZu] lEcy] fujUrjrk ,oa yksdfiz;rk ds mnns'; ls iqjkuh ih<h ds bu yksd
laokgdksa dk ubZ ih<h ds lkFk ,d la;qDr dk;Z'kkyk] ftlls bl ikjaifjd Fkkrh dk laogu
fd;k tk ldsA

vi. dk;Z'kkyk ds nksuks ihf<;ksa ds la;qDr izfrHkkfx;ksa dh laf{klr izLrqfrA

bl izdkj ;g ifj;kstuk viuh Fkkfr vFkkZr fojklr dh ekVh dh egd ls voxkgu djus dh gSA ;kfu mlesa izos'k djus] Nkuchu djus] mlds Kku es xksrk yxkus vkSj ml Kku ls ,d cks/k izklr djus dk iz;kl gSA

LOCALE ¼LFkku½& vkt+ex<+ ,oa vkl&ikl ds {ks=A

Time Frame of The Project ¼le;kof/k½& 20 twu] 2014 ls 20 vDVwcj] 2014

Conclusion ¼ milagkj½&

ijEijkxr yksd laLd`fr thou dk izk.k gS] yksd Hkk"kk izk.kksa dk Linu gS] blfy, ikjEikfjd yksd laLd`fr ds ek;/e ls gh laLdkjxr izk.kksa ds bl Lianu dks ij[kk tk ldrk gSA fofHkUu dkj.kksa ls fo'ks"kr% HkkSfrdrkoknh ,oa oSKkfud psruk ds vH;qn;] vk/kqfud jgu&lgu ds dkj.k viuh yksd laLd`fr ls dVko ;k nqjko dh fLFkfr lgt gh n`f"Vxr gksus yxh gSA

blfy, viuh yksd laLd`fr ds uSjUr;Z ,oa mldh izk.koRrk ds fy,] ukxfjdksa dks viuh yksd laLd`fr dh vcw>rk ds izfr mudh ekufldr dks yksd dh thoUrrk ls tksM+rs gq, yksxks ds eu es viuh Fkkrh dks v{kq.k j[kus ds fy, ;g ifj;kstuk ifjdfYir dh xbZ gSA ftles 'kks/k ,oa izys[ku] fujUrjrk] izlkj ,oa



Scheme for "Safeguarding the Intangible Cultural Heritage and Diverse Cultural Traditions of India"

Form for National Inventory Register of Intangible Cultural Heritage of India

भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत एवं परम्पराओं के संरक्षण की योजना का प्रपत्र

1. Name of the State
प्रस्तावित योजना का कार्यक्षेत्र राज्य

उत्तर प्रदेश
(UTTAR PRADESH)

2. Name of the Element/Cultural Tradition (in English)
योजना के प्रस्तावित सांस्कृतिक विरासत/परम्परा का नाम (क्षेत्रीय, स्थानीय, हिंदी एवं अंग्रेजी में)

बिरहा गायन
BIRHA

3. Name of the element in the language and script of the community Concerned, if applicable
योजना के प्रस्तावित सांस्कृतिक विरासत/परम्परा से सम्बंधित समुदाय का भाषिक क्षेत्र और भाषा, उपभाषा तथा बोली का विवरण

भाषिक क्षेत्र – पूर्वी उत्तर प्रदेश
भाषा – भोजपुरी
उपभाषा और बोली – पश्चिमी भोजपुरी

4. Name of the communities, groups or, if applicable, individuals concerned (Identify clearly either of these concerned with the practice of the said element/cultural tradition)
योजना के प्रस्तावित सांस्कृतिक विरासत/परम्परा से स्पष्ट रूप से सम्बंधित प्रतिनिधि ग्राम,

समुदाय, समूह, परिवार एवं व्यक्ति का नाम एवं संपर्क (विवरण अलग से संलग्न करें)

प्रतिनिधि ग्राम – पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेक गांव
समुदाय एवं समूह – यादव (अहीर) समुदाय
परिवार एवं व्यक्ति का नाम एवं संपर्क – व्यक्तियों के नाम, ग्राम एवं पता आदि विवरण अलग से संलग्न है।

संलग्नक संख्या –D- 1

5. Geographical location and range of the element/cultural tradition (Please write about the other states in which the said element/tradition is present.
योजना के प्रस्तावित सांस्कृतिक विरासत/परम्परा के तत्वों की जीवंतता का विस्तारित भौगोलिक क्षेत्र (ग्राम, प्रदेश, राज्य, देश, महादेश आदि) जिनमें उनका अस्तित्व है/पहचान है।

उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वी प्रदेश के विभिन्न जनपदों के विभिन्न ग्रामों में, देश-भारत (INDIA)

6. Identification and definition of the element/cultural tradition of the India (Write “Yes” in one or more boxes to identify the domain(s) of intangible cultural heritage manifested by the element. If you tick ‘others’, specify the domain(s) in brackets.)

- i. (✓) oral traditions and expressions, including language as a vehicle of the intangible cultural heritage
- ii. (✓) performing arts
- iii. () social practices, rituals and festive events
- iv. () knowledge and practices concerning nature and the universe
- v. () traditional craftsmanship
- vi. () other(s)

योजना के प्रस्तावित सांस्कृतिक विरासत/परम्परा की पहचान एवं उसकी परिभाषा/उसका विवरण

1. ✓ मौखिक परम्पराएं एवं अभिव्यक्तियाँ (भाषा इनमें अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के एक वाहक के रूप में है)
2. ✓ प्रदर्शनकारी कलाएं
3. सामाजिक रीति-रिवाज, प्रथाएँ, चलन, परम्परा, संस्कार, एवं उत्सव आदि
4. प्रकृति एवं जीव-जगत के बारे में ज्ञान एवं परिपाटी व अनुशीलन प्रथाएं

5. पारंपरिक शिल्पकारिता

6. अन्यान्य

बिरहा यादव समुदाय का जातीय गीत है। इसका कोई लिखित साक्ष्य या भास्त्र उपलब्ध नहीं है, बल्कि यह मौखिक परम्पराओं, लोक श्रुतियों एवं अभिव्यक्तियों के माध्यम से इस समुदाय में विद्यमान है। यह एक प्रदर्शनकारी कला है, जो इस समुदाय द्वारा लोकरंजन के लिए प्रचलित है।

7. Provide a brief summary description of the element that can introduce it to readers who have never seen or experienced it
कृपया योजना के प्रस्तावित सांस्कृतिक विरासत/परम्परा का एक रुचिपूर्ण सारगर्भित संक्षिप्त परिचय दें।

लोक कहावत के अनुसार बिरहा भारत में प्राचीन काल से गायी जाने वाली एक सांस्कृतिक परम्परा है। बिरहा भाब्द की उत्पत्ति 'बिरह' भाब्द से हुई है, ऐसा अधिकांश बिरहा गायकों का कहना है। बिरह का अर्थ विछोह या बिलगाव है। बिरहा गायकों के मुताबिक जब भगवान गोकुल से चले गये तो उनकी बिरह में गोपियां ग्वाल बालों ने जो कुछ रोया गाया उससे बिरहा बना। बिरहा मुख्यतया यादव समुदाय द्वारा गाया जाने वाला गीत है। यादवों ने अपने गायों को चराते समय दिन के खाली समय में अपने कानों पर उंगलियां रखकर तेज आवाज में बिरहा गाते थे। आगे चलकर अन्य समुदाय द्वारा भी एक लोक कला के रूप में बिरहा गायन किया जाने लगा। बिरहा गायकों के गुरु शिष्य परम्परा में अखाड़े चला करते थे। बनारस एवं इलाहाबाद में ऐसे कई अखाड़ों की जानकारी प्राप्त हुई है।

बनारस क्षेत्र के तमाम बिरहा गायक जिन अखाड़ों से सम्बन्ध रखते हैं। वो बिहारी गुरु की परम्परा में आते हैं। इस क्षेत्र के बिरहा गायक बिहारी गुरु को बिरहा का जनक मानते हैं। बिहारी गुरु के शिष्यों में पत्तू गुरु, रम्मन गुरु, गनेश गुरु, गुरु रामजतन बिन्द और गुरु शिवचन मल्लाह के अपने-अपने अखाड़े बने और इन अखाड़ों से तमाम बिरहिया गायक निकले। इसी प्रकार इलाहाबाद क्षेत्र के बिरहा गायकों के अखाड़े अलग हैं। इस क्षेत्र के गवैया दादा पन्धारी अखाड़ा और भुल्लुर ग्वाल अखाड़ा परम्परा के संवाहक हैं। इन अखाड़ों में केवल इनकी गुरु परम्परा का अलग होना ही है। गायकी में लगभग समान हैं। बिरहा के प्रकार में छन्द, ककहरा, रसना गहन, अधर और बन्दि आदि सभी बिरहा गायकों में लगभग समान रूप में मिलता है।

यह लोक विधा अहिरों द्वारा गाया जाने वाला उमंग और उत्साह से भरपूर है। इसमें गायक के पंक्तियों को कई गायक बार-बार तीव्र स्वर में दुहराते हैं जिसे टेरी भरना कहा जाता है।

बिरहा के उद्गम के विशय में बिरहिया लोग कहत हैं कि –

नाहीं बिरहा कर खेती भइया, नाहिं बिरहा फरे डाड़
बिरहा बसेला हिरदया में ऐ रामा, जब उमगै ले तब गाव।।

बिरहा के वर्णनीय विशय अनेक हैं। उसमें श्रृंगार, मिती, वीर रस, ग्रामीण जीवन का वर्णन मुख्य है।

प्राचीन बिरहा एक छन्द थी। इस छन्द के प्रत्येक चरण में दो जगह यति होती है। प्रथम यति 16 अक्षर पर और दूसरी 10 अक्षर पर। इसके अलावा इसको गाने में छन्द के चतुर्थ चरण का उपान्त्य दीर्घ स्वर में उच्चरित किया जाता है। वरिष्ठ बिरहा गायक हीरा लाल यादव बताते हैं कि पुराने समय में प्रचलित खड़ी बिरहा ही बिरहा का भुद्ध रूप था। वर्तमान में बिरहा के जो रूप दिखाई पड़ते हैं वह बिगड़ा हुआ अभुद्ध रूप है जो कहीं से भी इस लोक परम्परा में नहीं आती है।

बिरहा गायन में जहां भोजपुरी के तमाम लोक गीतों के तत्व खेमटा, पूरबी, कहरवा, छपरहिया, दादरा, जगसार आदि भामिल किय जाते हैं। वहीं वाद्यों में ढोलक, मजीरा, करताल जो मुख्य गायक द्वारा बजाया जाता है, प्रमुख है। करताल बैलों के हल में प्रयुक्त होने वाले फार होता है।

8. Who are the bearers and practitioners of the element/Cultural Traditions? Are there any specific roles or categories of persons with special responsibilities for the practice and transmission of it? If yes, who are they and what are their responsibilities?
योजना के प्रस्तावित सांस्कृतिक विरासत/परम्परा के तत्वों के अधिकारी व्यक्ति और अभ्यासी कौन हैं ? क्या इन व्यक्तियों की कोई विशेष भूमिका है या कोई विशेष दायित्व है इस परम्परा और प्रथा के अभ्यास एवं अगली पीढ़ी को संचरण के निमित्त ? अगर है तो वो कौन हैं और उनका दायित्व क्या है।

इस सांस्कृतिक परम्परा के अधिकारिक अभ्यासी व्यक्ति यादव समुदाय के लोग हैं। जिनका दायित्व इस लोक विधा की भुद्धता को बचाये और बनाये रखना है। मगर इस दिना में बहुत क्षति हुई है। बिरहा के क्षेत्र में सस्ती लोकप्रियता वाले तमाम अभुद्ध रूप देखने को मिल रहे हैं जो कहीं से भी इस विधा के प्राचीन तत्व नहीं जान पड़ते हैं। इसे बचाने के लिए इस समाज को इस दिना में सजग, शिक्षित और प्रबल इच्छा भाक्ति के साथ सस्ती लोकप्रियता को त्यागना होगा और इसके लिए लम्बे समय तक ईमानदारी से काम करने की जरूरत है।

9. How are the knowledge and skills related to the element transmitted today?

ज्ञान और हुनर/कुशलता का वर्तमान में संचारित तत्त्वों के साथ क्या अंतर सम्बन्ध है ?

इस सांस्कृतिक विरासत के लोग जातीय समुदाय विशेष से सम्बन्ध रखते हैं जो समाज के सर्वथा

अशिक्षित वर्ग से रहे हैं, परन्तु केवल पारम्परिक ज्ञान के सहारे इनकी विधा का हुनर और कुशलता देख कर अचम्भा होता है।

ज्ञान का सम्बन्ध शास्त्रज्ञता से है ओर हुनर तथा कुशलता का सम्बन्ध लोकज्ञता से है। शास्त्रज्ञता ने

लोकज्ञता को पर्याप्त सम्मान नहीं दिया है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आज के वर्तमान आधुनिक

समाज में इन पारम्परिक कलाओं की स्थिति कैसी है, यहीं जान लेना पर्याप्त होगा। विकल्प केवल यही

शेष है कि इस 'ज्ञान' को इसके पारम्परिक विद्यालय में ही समय रहते सवाँर लिया जाय और इस हुनर की

निरन्तरता बनायी रखी जाए।

जिस प्रकार भोजपुरी के तमाम लाक विधाओं का कोई लिखित रूप नहीं मिलता इसी प्रकार बिरहा का भी

कोई लिखित स्वरूप प्राप्त नहीं है। किसी समय में अहिरो का यह वीरतापूर्ण लोकरंजन का यह साधन था

लेकिन बदलते परवे"न के साथ इसका रूप बदल गया है।

बिरहा मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी गायी जा रही है लेकिन वर्तमान में इसके रूप में कुछ अ"ुद्धता

उत्पन्न हो गये हैं। यद्यपि यह यादव समुदाय को लोक विधा है लेकिन बाद में इस अन्य जाति के लोग भी

गाने लगे हैं।

बिरहा के पारम्परिक लोक तत्त्वों को बचाने की बात सभी बिरहा गायक कर रहे हैं लेकिन हम इनकी कथनी

करनी में अन्तर या दृढ़ इच्छा भाक्ति इन अर्थों में दिखाई नहीं पड़ रही है कि ये लोग इसके प्राचीनतम

स्वरूप के लिए संघर्ष करने के बजाय सस्ती लोकप्रियता वाले गायकी को प्रस्तुत करने लगे हैं। वर्तमान में

काण्ड या प्रसंग गायन इसी कड़ी में एक बिगड़ा हुआ रूप है जो कहीं से भी प्राचीन बिरहा का तत्व नहीं

है।

10. What social functions and cultural meanings do the element/cultural tradition have today for its community?

आज वर्तमान में सम्बंधित समुदाय के लिए इन तत्वों का सामाजिक व सांस्कृतिक आयोजन क्या मायने रखता है ?

बिरहा को सस्ती लोकप्रियता से अलग हटकर इसके प्राचीन स्वरूप को अपनाना होगा। तभी इसका पारम्परिक रूप बच सकेगा। पहले बिरहा का आयोजन सामाजिक एकता और समरसता को सुदृढ़ करने के लिए भी कार्य करता था, जो आज भी सम्भव है। मगर इस दिना में सही कार्य किया जाय तो। इसमें अलीलता या सस्ती लोकप्रियता को वर्जित कर दिया जाय तो यह आज समाज के लिए प्रेरणा और लोकरंजक साबित हो सकता है। लोक शिक्षण का भी यह उपकरण हो सकता है। इस गायन में दर्कों द्वारा इनाम के रूप में कुछ पैसे दिये जाने की परम्परा आज भी खूब दिखाई दे रही है। इस प्राप्त धन से गवैया और बजाने वाले की आजीविका को भी आंशिक रूप से बल मिलता है, जिसे एक कलाकार ने "हमहुं हिले डुले लायक रहीं" जैसे सारगर्भित कथन से व्यक्त किया।

11. Is there any part of the element that is not compatible with existing international human rights instruments or with the requirement of mutual respect among communities, groups and individuals, or with sustainable development? i.e. describe any aspect of the element/cultural tradition that may be unacceptable to Law of the country or may be in opposition to practicing community's harmony with others.

क्या योजना के प्रस्तावित सांस्कृतिक विरासत/परम्परा के तत्वों में ऐसा कुछ है जिसे प्रतिपादित अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार के मानकों के प्रतिकूल माना जा सकता है या फिर जिसे समुदाय, समूह या किसी व्यक्ति के आपसी सम्मान को ठेस पहुँचती हो या फिर वे उनके स्थाई विकास को बाधित करते हों, क्या प्रस्तावित योजना के तावत या फिर सांस्कृतिक परम्परा में ऐसा कुछ है जो देश के कानून या फिर उनसे जुड़े समुदाय

के समन्वय को या दूसरों को क्षति पहुंचाती हो ? विवाद खड़ा करती हो ?

प्रस्तावित सांस्कृतिक विरासत/परम्परा के तत्वों में ऐसा कुछ भी नहीं है।

12. Your Project's contribution to ensuring visibility, awareness and encouraging dialogue related to the element/cultural tradition.

प्रस्तावित सांस्कृतिक विरासत/परम्परा की योजना क्या उससे सम्बंधित संवाद के लिए पारदर्शिता, सजगता और प्रोत्साहन को सुनिश्चित करती है

बदलते परिवेश में सामाजिक ताना-बाना इस कदर बदल गया है कि बिरहा जैसे पारम्परिक लोक विधाओं की परम्परागत स्वरूप को क्षति पहुंची है।

बिरहा का कोई लिखित साहित्य या पुस्तक नहीं है। यह मौखिक रूप से एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाता रहा है। मगर बदलते परिवेश में यह पिछड़ता जा रहा है। इस समुदाय के लोग कुछ शिक्षित जरूर हुए हैं, मगर इस समुदाय के इन लोक विधाओं वाले लोगों को इसके उचित संरक्षण की दिशा में और जागरूक तथा शिक्षित होने की जरूरत है।

समाज को इस बात के लिए जागरूक होना चाहिए कि अपनी लोक परम्पराओं और विधाओं को जीवित रखकर ही अपने अतीत को जीवित रख सकते हैं। इसलिए हमारे वर्तमान के निर्माण में सक्रिय भूमिका है। हम जो आज हैं वह एक दिन में घटित घटना नहीं, अनवरत परिवर्तन की श्रृंखला की कड़ी भर हैं।

उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर यह बात स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है कि प्रस्तावित योजना सम्बंधित परम्परा से संवाद के लिए पर्याप्त पारदर्शिता, सजगता और प्रोत्साहन को सुनिश्चित करती है।

13. Information about the safeguarding measures that may protect or promote the element/cultural tradition.

(Write "Yes" in one or more boxes to identify the safeguarding measures that have been and are currently being taken by the communities, groups or individuals concerned)

- () transmission, particularly through formal and non-formal education
- () identification, documentation, research
- () preservation, protection
- () promotion, enhancement
- () revitalization

योजना के प्रस्तावित सांस्कृतिक विरासत/परम्परा के तत्वों के संरक्षण के लिए उठाए जाने वाले

उपायों/कदमों/प्रयासों के बारे जानकारी में जो उसको संरक्षित या संवर्धित कर सकते हैं। उल्लेखित उपाय/उपायों को पहचान कर चिन्हित करें जिसे वर्तमान में सम्बंधित समुदायां, समूहों, और व्यक्तियों द्वारा अपनाया जाता है।

1. औपचारिक एवं अनौपचारिक तरीके से प्रशिक्षण (संचरण)
2. पहचान, दस्तावेजीकरण एवं शोध
3. रक्षण एवं संरक्षण
4. संवर्धन एवं बढ़ावा
5. पुनरुद्धार/पुनर्जीवन

बिरहा लोक विधा के पारम्परिक स्वरूप का अध्ययन भाोध, प्रलेखन के साथ ही साथ इसका दस्तावेजीकरण एवं प्रकाशन कर इसके पुराने रूप को प्रचारित एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण द्वारा इसे लोकप्रिय बनाना संवर्धन एवं बढ़ावा देने और इसकी भुद्धता के पुनर्जीवन के लिए कार्य करना महत्वपूर्ण है। इसके लिए पर्याप्त सजगता को ध्यान में रखकर एक विस्तृत योजना पर कार्य करना होगा, क्योंकि वर्तमान में इसके तमाम बिगड़े हुए रूप को देखते हुए यह कार्य बहुत ही सरल नहीं जान पड़ता।

14. Write about the measures taken at local, state and national level by the Authorities to safeguard the element/cultural tradition?

स्थानीय, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर योजना के प्रस्तावित सांस्कृतिक विरासत परम्परा के तत्वों के संरक्षण के लिए अधिकारियों ने क्या उपाय किये उनका विवरण दें ?

स्थानीय स्तर पर प्रशासन, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर कई ऐसे विभाग एवं सरकारी संस्थायें हैं जिनके कार्य क्षेत्र में इस प्रकार के सांस्कृतिक विरासत एवं परम्परा के तत्वों के संरक्षण का दायित्व आता है। परन्तु उनके द्वारा इस दिशा में क्या ठोस उपाय किये गये हैं। इसकी समुचित जानकारी इनके द्वारा ही उपलब्ध हो सकती है, जिसका कोई विवरण हमें प्राप्त नहीं हो सका है।

यदा कदा इन इकाईयों द्वारा इस दिशा में कुछ कार्यक्रमों का आयोजन दिखाई दे जाता है, परन्तु इससे इसकी भलाई के उपाय 'ऊँट के मुँह में जीरा के

समान' ही सम्भव हो सका है। अतः इस दिशा में सभी को पर्याप्त विचार एवं कदम उठाने की आवश्यकता है।

15. Write about the threats, if any, to the element/cultural tradition related to its practice, visibility and future longevity. Give facts and relevant reasons based on the current scenario.

योजना के प्रस्तावित सांस्कृतिक विरासत/परम्परा के तत्वों के व्यवहार, जीवन्तता और भविष्य को क्या खतरे हैं ? वर्तमान परिदृश्य के उपलब्ध साक्ष्यों और सम्बंधित कारणों का ब्यौरा दें।

- 1- अगली पीढ़ी द्वारा इन परम्पराओं को न अपनाए जाने से इन विधाओं के विलुप्त होने का खतरा है।
- 2- पारम्परिक सामाजिक बन्धनों का क्षीर्ण होना जिसमें पहले इन विधा के कलाकारों की महत्वपूर्ण सामाजिक सहभागिता हुआ करती थी।
- 3- व्यवसायीकरण के दौर में मनोरंजन के बढ़ते अन्यान्य साधनों के कारण जन समुदाय का इन विधाओं को विस्मृत और उपेक्षित किया जाना।
- 4- सरकार और अन्य संगठनों द्वारा इन परम्परागत कलाकारों को लाभ न पहुँचना।
- 5- बदलते दौर के साथ इन विधाओं के पारम्परिक स्वरूप में तेजी से बदलाव का होना जिससे इसके मूल स्वरूप को क्षति हुई है।
उपरोक्त कारणों से इस पारम्परिक तत्वों के व्यवहार, जीवन्तता और भविष्य को खतरा है

16. Safeguarding measures proposed

(This section should identify and describe safeguarding measures to protect and promote the element/cultural tradition. Such measures should be concrete and can be implemented to formulate future cultural policy for safeguarding and promoting the element/cultural tradition in the state).

संरक्षण के क्या उपाय अपनाने के सुझाव हैं ?

(इसमें उन उपायों के पहचान कर उनकी चर्चा करें जिससे के प्रस्तावित सांस्कृतिक विरासत/परम्परा के तत्वों के संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा मिल सके/ये उपाय ठोस हों जिससे भविष्य की सांस्कृतिक नीति के साथ आत्मसात किया जा सके ताकि के प्रस्तावित सांस्कृतिक विरासत/परम्परा के तत्वों का राज्य स्तर पर संरक्षण किया जा सके।)

- 1- इन जातीय परम्पराओं को सुरक्षित रखने के लिए इन्हे व्यापक प्रचार प्रसार के द्वारा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और इनके दस्तावेजीकरण के लिए खोज एवं पहचान के साथ शोधपूर्ण आलेखन और उसका प्रकाशन किया जाना चाहिए।
- 2- समाज में इसके व्यवहारिक स्वरूप को बचाए रखने के लिए इन दलों को वर्तमान समय अनुरूप शिक्षण-प्रशिक्षण और इनकी कला के माध्यम से आर्थिक संरक्षण प्रदान की जानी चाहिए।
- 3- इनका संवर्धन इस प्रकार करना होगा जिससे ये अपने को उपेक्षित न महसूस करें और इस कला को अपनाये रखने में वे आत्मसम्मान का अनुभव करें।
- 4- अगली पीढ़ी इस विधा को अपनाने के लिए उत्साहित हो, ऐसे कार्यक्रमों को लम्बे समय तक संचालित करना और इसमें इनकी भागीदारी को प्रोत्साहन देने के लिए सुविधाएँ प्रदान करना होगा।
- 5- स्थानीय/ राज्य /राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर इनके प्रदर्शनों/आयोजनों को बढ़ावा देना

होगा।

6- इनके स्तर में सुधार के लिए इन्हे वेश-भूषा, वाद्य यंत्र, उन्नत स्थिति प्राप्त करने हेतु कार्यशालायें एवं इसी प्रकार की अन्य सुविधाएं प्रदान करनी होंगी।

17. Community Participation

(Write about the participation of communities, groups and individuals related to the element/cultural tradition in formulation of your project).

सामुदायिक सहभागिता

(प्रस्तावित सांस्कृतिक विरासत/परम्परा के तत्वों के संरक्षण की योजना में समुदाय, समूह, व्यक्ति की सहभागिता के बारे में लिखें)

प्रस्तावित योजना का संरक्षण का सबसे अहम हिस्सा समुदाय/ समूह और व्यक्ति की सहभागिता पर निर्भर है।

टूटती सामाजिक कड़ियों ने इन विधाओं को भारी क्षति पहुंचाई है। सामाजिक स्तर पर यदि इनके हिस्से का

सम्बल और आत्मसम्मान प्राप्त होता रहे तो यह इन कलाकारों के लिए संजीवनी सिद्ध होगी।

बदले हुए सामाजिक परिवेश में पहले की तरह सामाजिक रीति-रिवाजों में इसका चलन समाप्ती के कगार पर

है। अतः इस समुदाय के लोगों और इन कलाकारों/दलों को मंच देने के अवसर की वृद्धि करने पर ही

इनकी सहभागिता में बढ़ोत्तरी हो सकती है।

18. Concerned community organization(s) or representative(s)

(Provide detailed contact information for each community organization or representative or other non-governmental organization that is concerned with the element such as associations, organizations, clubs, guilds, steering committees, etc.)

- i. Name of the entity
- ii. Name and title of the contact person
- iii. Address
- iv. Telephone number
- v. E-mail
- vi. Other relevant information.

सम्बंधित समुदाय के संघठन(नों) या प्रतिनिधि(यों) (प्रस्तावित सांस्कृतिक विरासत/परम्परा के तत्वों से जुड़े हर समुदायिक संगठन या प्रतिनिधि या अन्य गैर सरकारी संस्था जैसे की एसोसिएशन, आर्गेनाइजेशन, क्लब, गिल्ड, सलाहकार समिति, स्टीयरिंग समिति आदि)

- 1- संस्था /कम्पनी/ हस्ती का नाम
- 2- सम्बंधित/ अधिकारी व्यक्ति का नाम पदनाम व संपर्क
- 3- पता
- 4- फोन नंबर : मोबाइल न. :
- 5- ईमेल :
- 6- अन्य सम्बंधित जानकारी

कृपया देखें संलग्नक संख्या-1

इस पारम्परिक कला के व्यक्ति सर्वथा अशिक्षित वर्ग से रहें हैं। अतः प्रारम्भ से ही केवल इस विधा पर केंद्रित कोई संगठन नहीं है। कुछ जगहों पर इनकी जातिगत यूनियन आदि हो सकती है जो किसी भी प्रकार से इस सांस्कृतिक विरासत/ परम्परा के प्रस्तावित योजना के दृष्टिकोण से कोई कार्य नहीं करती।

ऐसे में जो कलाकार एवं दल इस विधा के प्रदर्शन में संलग्न हैं वहीं इस बिन्दू के सही प्रतिनिधि हैं जिनकी सूची एवं विवरण संलग्नक संख्या 1 पर प्रस्तुत है।

19. Give information of any Inventory, database or data creation centre (local/state/national) that you may be aware of or of any office, agency, organisation or body involved in the maintenance of the said inventory etc.

किसी मौजूदा इन्वेंटरी, डेटाबेस या डाटा क्रिएशन सेंटर (स्थानीय/राज्यकीय/राष्ट्रीय) की जानकारी जिसका आपको पता हो या आप किसी कार्यालय, एजेंसी, आर्गेनाइजेशन या व्यक्ति की जानकारी को इस तरह की सूची को संभल कर रखता हो उसकी जानकारी दें।


- 1- इस प्रकार की कोई भी जानकारी अभी तक अप्राप्य है।
- 2- इस योजना के तहत किये जा रहे कार्यों से इस प्रकार की सूचना संकलित होने की उम्मीद सर्वथा उपयुक्त है।
- 3- वर्तमान में हमारे द्वारा किये गये कार्य से जिन व्यक्तियों की जानकारी एकत्र हुई है (संलग्नक संख्या-1) उन्हें हम व्यवस्थित रखते हुए आने वाले समय में उत्तरोत्तर वृद्धि करेंगे।

20. Principal published references or documentation available on the element/cultural tradition (Books, articles, audio-visual materials, names and addresses of reference libraries, museums, private endeavours of artistes/individuals for preservation of the said element, publications or websites).

प्रस्तावित सांस्कृतिक विरासत/परम्परा के तत्वों से संबंधित प्रमुख प्रकाशित संदर्भ सूची या दस्तावेज़

(किताब, लेख, ऑडियो-विडियो-विस्तृत सामग्री, लाइब्रेरी, म्यूजियम, प्राइवेट सहृदयों संग्राहकों,


कलाकारों/व्यक्तियों के नाम और पते तथा वेबसाइट आदि जो सम्बंधित सांस्कृतिक विरासत/परम्परा के तत्त्वों के बारे में हों।



यह विरासत सर्वथा मौखिक परम्परा के रूप में ही है, अतः कोई किताब या महत्वपूर्ण अभिलेख प्राप्त नहीं है।
कुछ लेखकों, सुहृदय संग्राहकों में कभी-कभी इस प्रकार का कुछ कार्य किया है, जिसका वे सुरक्षित संकलन उपलब्ध कराने में असमर्थ हैं, मगर कुछ प्रयासों से आगे ऐसे लेख एवं अन्य सामग्री उपलब्ध कराने का वादा किया

हस्ताक्षर : —
नाम व पदनाम : — राजकुमार "गह
(निदेशक)
संस्थान का नाम (यदि है तो) : — समूहन कला
संस्थान
पता : — एफ-6 के सामने,
रदोपुर कालोनी,
आजमगढ़-276001
फोन न. : —
मोबाइल : — 09451565397
ईमेल : — shikharrajshah@gmail.com
वेबसाइट : —


समूहन कला संस्थान द्वारा संस्कृति मंत्रालय (भारत सरकार) एवं संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली के सहयोग/माध्यम से भारत को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत एवं परम्पराओं/विधाओं पर किये गये कार्य के क्रम में संकलित कलाकारों का परिचय-विवरण प्रपत्र



- 1- सांस्कृतिक विरासत/परम्परा का नाम :- बिरहा गायन
- 2- संस्था/कम्पनी/हस्ती का नाम :- श्री हीरालाल यादव
- 3- सम्बंधित/अधिकारी व्यक्ति का नाम,
पदनाम व संपर्क :- X
- 4- प्रतिनिधि ग्राम, समुदाय, समूह,
परिवार एवं व्यक्ति का नाम :-
- 5- पता :- एस-10/43, मकबूल आलम रोड
(सांस्कृतिक भांकुल के सामने)
जिला-वाराणसी
- 6- फोन नंबर/मोबाइल न. :- 09936772200
- 7- ईमेल :- X
- 8- अन्य सम्बंधित जानकारी :-
- (i) गुरु का नाम :- स्व0 श्री रम्मन दास
- (ii) पिता का नाम :- स्व0 रूदर यादव
- (iii) माता का नाम :-
- (iv) शिक्षा :- प्राइमरी/1995 में उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी का
अकादमी पुरस्कार (श्री बिरजू महाराज जी के हाथों
प्रदत्त)
- (v) जन्मतिथि/उम्र :- 82 वर्ष
- (vi) कब से संलग्न हैं :- 12 वर्ष की आयु से



समूहन कला संस्थान द्वारा संस्कृति मंत्रालय (भारत सरकार) एवं संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली के सहयोग/माध्यम से भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत एवं परम्पराओं/विधाओं पर किये गये कार्य के क्रम में संकलित कलाकारों का परिचय-विवरण प्रपत्र



- 1- सांस्कृतिक विरासत/परम्परा का नाम :- बिरहा गायन
- 2- संस्था/कम्पनी/हस्ती का नाम :- दीपक सिंह
- 3- सम्बंधित/अधिकारी व्यक्ति का नाम,
पदनाम व संपर्क :- X
- 4- प्रतिनिधि ग्राम, समुदाय, समूह,
परिवार एवं व्यक्ति का नाम :-
- 5- पता :- ग्राम व पो0-सरैया नं0-1, चोलापुर,
जिला-वाराणसी
- 6- फोन नंबर/मोबाइल न. :- 09415622518
- 7- ईमेल :- X
- 8- अन्य सम्बंधित जानकारी :-
- (i) गुरु का नाम :- के०व दास
- (ii) पिता का नाम :- स्व० श्रीनाथ सिंह
- (iii) माता का नाम :- स्व० श्रीमती सीता देवी
- (iv) शिक्षा :-
- (v) जन्मतिथि/उम्र :- 15-07-1961
- (vi) कब से संलग्न हैं :- 12 वर्ष की आयु से

समूहन कला संस्थान द्वारा संस्कृति मंत्रालय (भारत सरकार) एवं संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली के सहयोग/माध्यम से भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत एवं परम्पराओं/विधाओं पर किये गये कार्य के क्रम में संकलित कलाकारों का परिचय-विवरण प्रपत्र




- 1- सांस्कृतिक विरासत/परम्परा का नाम :- बिरहा गायन
- 2- संस्था/कम्पनी/हस्ती का नाम :- जवाहर लाल यादव
- 3- सम्बंधित/अधिकारी व्यक्ति का नाम,
पदनाम व संपर्क :- X
- 4- प्रतिनिधि ग्राम, समुदाय, समूह,
परिवार एवं व्यक्ति का नाम :-
- 5- पता :- 37/2, गोपाल बाग, जैतपुर
जिला-वाराणसी
- 6- फोन नंबर/मोबाइल न. :- 09415684097
- 7- ईमेल :- X
- 8- अन्य सम्बंधित जानकारी :-
 - (i) गुरु का नाम :- श्री मुंशीराम यादव
 - (ii) पिता का नाम :- स्व० हरीनन्दन राम यादव
 - (iii) माता का नाम :- स्व० कुन्ता देवी
 - (iv) शिक्षा :- बी०ए०
 - (v) जन्मतिथि/उम्र :- 04-03-1949
 - (vi) कब से संलग्न हैं :- 1976 से

अकादमी

पुरस्कार

वर्ष 2000 में उ०प्र० संगीत नाटक अकादमी का

समूहन कला संस्थान द्वारा संस्कृति मंत्रालय (भारत सरकार) एवं संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली के सहयोग/माध्यम से भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत एवं परम्पराओं/विधाओं पर किये गये कार्य के क्रम में संकलित कलाकारों का परिचय-विवरण प्रपत्र




- 1- सांस्कृतिक विरासत/परम्परा का नाम :- बिरहा गायन
- 2- संस्था/कम्पनी/हस्ती का नाम :- रामकल यादव
- 3- सम्बंधित/अधिकारी व्यक्ति का नाम,
पदनाम व संपर्क :- X
- 4- प्रतिनिधि ग्राम, समुदाय, समूह,
परिवार एवं व्यक्ति का नाम :-
- 5- पता :- ग्राम व पोस्ट- उबारपुर, तहसील-लालगंज
जिला-आजमगढ़
- 6- फोन नंबर/मोबाइल न. :-
- 7- ईमेल :- X
- 8- अन्य सम्बंधित जानकारी :-
 - (i) गुरु का नाम :- सतिराम यादव
 - (ii) पिता का नाम :- स्व० तिलकू यादव
 - (iii) माता का नाम :- स्व० हूबराजी देवी
 - (iv) शिक्षा :- अशिक्षित
 - (v) जन्मतिथि/उम्र :- 76 वर्ष
 - (vi) कब से संलग्न हैं :- 50 वर्षों से

समूहन कला संस्थान द्वारा संस्कृति मंत्रालय (भारत सरकार) एवं संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली के सहयोग/माध्यम से भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत एवं परम्पराओं/विधाओं पर किये गये कार्य के क्रम में संकलित कलाकारों का परिचय-विवरण प्रपत्र




- 1- सांस्कृतिक विरासत/परम्परा का नाम :- बिरहा गायन
- 2- संस्था/कम्पनी/हस्ती का नाम :- रामलखन यादव
- 3- सम्बंधित/अधिकारी व्यक्ति का नाम,
पदनाम व संपर्क :- X
- 4- प्रतिनिधि ग्राम, समुदाय, समूह,
परिवार एवं व्यक्ति का नाम :-
- 5- पता :- ग्राम-भतड़ी चक भतड़ी, पोस्ट-करहां
जिला-मऊ
- 6- फोन नंबर/मोबाइल न. :- 09452479531
- 7- ईमेल :- X
- 8- अन्य सम्बंधित जानकारी :-
 - (i) गुरु का नाम :- स्व0 बेचन राजभर
 - (ii) पिता का नाम :- स्व0 जगरनाथ यादव
 - (iii) माता का नाम :- स्व0 जगरमाता देवी
 - (iv) शिक्षा :- प्राइमरी
 - (v) जन्मतिथि/उम्र :- 46 वर्ष
 - (vi) कब से संलग्न हैं :- 20 वर्षों से

समूहन कला संस्थान द्वारा संस्कृति मंत्रालय (भारत सरकार) एवं संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली के सहयोग/माध्यम से भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत एवं परम्पराओं/विधाओं पर किये गये कार्य के क्रम में संकलित कलाकारों का परिचय-विवरण प्रपत्र



- 1- सांस्कृतिक विरासत/परम्परा का नाम :- बिरहा गायन
- 2- संस्था/कम्पनी/हस्ती का नाम :- रामबाबू यादव
- 3- सम्बंधित/अधिकारी व्यक्ति का नाम,
पदनाम व संपर्क :- X
- 4- प्रतिनिधि ग्राम, समुदाय, समूह,
परिवार एवं व्यक्ति का नाम :-
- 5- पता :- ग्राम-तेवरिया खुर्द, पो0-करमा,
तहसील-करछना, जिला-इलाहाबाद
- 6- फोन नंबर/मोबाइल न. :- 09936742998
- 7- ईमेल :- X
- 8- अन्य सम्बंधित जानकारी :-
 - (i) गुरु का नाम :- स्व0 श्री रामअधार यादव
 - (ii) पिता का नाम :- श्रीराम गरीब यादव
 - (iii) माता का नाम :- श्रीमती प्रभावती देवी
 - (iv) शिक्षा :- प्राइमरी
 - (v) जन्मतिथि/उम्र :- 25-01-1960
 - (vi) कब से संलग्न हैं :- 1982 से


समूहन कला संस्थान द्वारा संस्कृति मंत्रालय (भारत सरकार) एवं संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली के सहयोग/माध्यम से भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत एवं परम्पराओं/विधाओं पर किये गये कार्य के क्रम में संकलित कलाकारों का परिचय-विवरण प्रपत्र



- 1- सांस्कृतिक विरासत/परम्परा का नाम :- बिरहा गायन
- 2- संस्था/कम्पनी/हस्ती का नाम :- भयाम लाल 'बेगाना'
- 3- सम्बंधित/अधिकारी व्यक्ति का नाम,
पदनाम व संपर्क :- X
- 4- प्रतिनिधि ग्राम, समुदाय, समूह,
परिवार एवं व्यक्ति का नाम :-
- 5- पता :- ग्राम-नेवादा समोगर (डेज मेडिकल तिराहा)
पोस्ट- टी0एस0एल0, नैनी, जिला-इलाहाबाद
- 6- फोन नंबर/मोबाइल न. :- 09839151263
- 7- ईमेल :- X
- 8- अन्य सम्बंधित जानकारी :-
 - (i) गुरु का नाम :- स्व0 रामलखन
 - (ii) पिता का नाम :- स्व0 अलोपी
 - (iii) माता का नाम :- स्व0 महदेई
 - (iv) शिक्षा :- प्राइमरी
 - (v) जन्मतिथि/उम्र :- 02-01-1957
 - (vi) कब से संलग्न हैं :- 1972 से


समूहन कला संस्थान द्वारा संस्कृति मंत्रालय (भारत सरकार) एवं संगीत नाटक
अकादमी नई दिल्ली के सहयोग/माध्यम से भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत एवं
परम्पराओं/विधाओं पर किये गये कार्य के क्रम में संकलित कलाकारों का
परिचय-विवरण प्रपत्र

- 1- सांस्कृतिक विरासत/परम्परा का नाम :- बिरहा गायन
- 2- संस्था/कम्पनी/हस्ती का नाम :- मु"र्रफ अली 'घायल'
- 3- सम्बंधित/अधिकारो व्यक्ति का नाम,
पदनाम व संपर्क :- X
- 4- प्रतिनिधि ग्राम, समुदाय, समूह,
परिवार एवं व्यक्ति का नाम :-
- 5- पता :- ग्राम-लेहड़ी, पोस्ट- उरुवा
तहसील-मेजा, जिला-इलाहाबाद
- 6- फोन नंबर/मोबाइल न. :- 09793877524
- 7- ईमेल :- X
- 8- अन्य सम्बंधित जानकारी :-
 - (i) गुरु का नाम :- स्व0 हैदर अली
 - (ii) पिता का नाम :- स्व0 सादिक हुसैन
 - (iii) माता का नाम :- खातून बेगम
 - (iv) िाक्षा :- इण्टरमीडिएट
 - (v) जन्मतिथि/उम्र :- 11-10-1956
 - (vi) कब से संलग्न हैं :- 25 वर्ष से



समूहन कला संस्थान द्वारा संस्कृति मंत्रालय (भारत सरकार) एवं संगीत नाटक
अकादमी नई दिल्ली के सहयोग/माध्यम से भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत एवं
परम्पराओं/विधाओं पर किये गये कार्य के क्रम में संकलित कलाकारों का
परिचय-विवरण प्रपत्र

- 1- सांस्कृतिक विरासत/परम्परा का नाम :- बिरहा गायन
- 2- संस्था/कम्पनी/हस्ती का नाम :- मंगल यादव
- 3- सम्बंधित/अधिकारी व्यक्ति का नाम,
पदनाम व संपर्क :-
- 4- प्रतिनिधि ग्राम, समुदाय, समूह,
परिवार एवं व्यक्ति का नाम :-
- 5- पता :- ग्रा0पो0-डबरिया (धानापुर)
जनपद -चंदौली
- 6- फोन नंबर/मोबाइल न. :- 09918863636
- 7- ईमेल :-
- 8- अन्य सम्बंधित जानकारी :-
- (i) गुरु का नाम :- श्री लक्ष्मी नारायण एवं हीरालाल यादव
- (ii) पिता का नाम :-स्व0 निरहु यादव
- (iii) माता का नाम :-श्रीमती पुरुशोन्तमी देवी
- (iv) शिक्षा :-
- (v) जन्मतिथि/उम्र :- 15.05.1948
- (vi) कब से संलग्न हैं :- 1973 से





Scheme for "Safeguarding the Intangible Cultural Heritage and Diverse Cultural Traditions of India"

Form for National Inventory Register of Intangible Cultural Heritage of India

भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत एवं परम्पराओं के संरक्षण की योजना का प्रपत्र

1. Name of the State
प्रस्तावित योजना का कार्यक्षेत्र राज्य

उत्तर प्रदेश
(UTTAR PRADESH)

2. Name of the Element/Cultural Tradition (in English)
योजना के प्रस्तावित सांस्कृतिक विरासत/परम्परा का नाम (क्षेत्रीय, स्थानीय, हिंदी एवं अंग्रेजी में)

धोबिया नृत्य
(DHOBIYA DANCE)

3. Name of the element in the language and script of the community Concerned, if applicable
योजना के प्रस्तावित सांस्कृतिक विरासत/परम्परा से सम्बंधित समुदाय का भाषिक क्षेत्र और भाषा, उपभाषा तथा बोली का विवरण

भाषिक क्षेत्र – पूर्वी उत्तर प्रदेश
भाषा – भोजपुरी
उपभाषा और बोली – पश्चिमी भोजपुरी

भोजपुरी की तीन उपभाषाओं में से इस नृत्य में प्रयुक्त होने वाली बोली मुख्यतया पश्चिमी भोजपुरी है। लेकिन धोबिया गायन में जिलेवार भोजपुरी के बोल-चाल में थोड़ा से भेद स्पष्ट दिखाई पड़ता है और यह भेद प्रकृतिगत कारणों से है जो पूरे भारत में पायी जाती हैं।

4. Name of the communities, groups or, if applicable, individuals concerned (Identify clearly either of these concerned with the practice of the said element/cultural tradition)
योजना के प्रस्तावित सांस्कृतिक विरासत/परम्परा से स्पष्ट रूप से सम्बंधित प्रतिनिधि ग्राम, समुदाय, समूह, परिवार एवं व्यक्ति का नाम एवं संपर्क (विवरण अलग से संलग्न करें)

प्रतिनिधि ग्राम – पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेक गांव
समुदाय एवं समूह – धोबी समुदाय
परिवार एवं व्यक्ति का नाम एवं संपर्क – व्यक्तियों के नाम, ग्राम एवं पता आदि विवरण अलग से संलग्न है।

संलग्नक संख्या – A-1

5. Geographical location and range of the element/cultural tradition (Please write about the other states in which the said element/tradition is present.
योजना के प्रस्तावित सांस्कृतिक विरासत/परम्परा के तत्वों की जीवंतता का विस्तारित भौगोलिक क्षेत्र (ग्राम, प्रदेश, राज्य, देश, महादेश आदि) जिनमें उनका अस्तित्व है/पहचान है।

उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वी प्रदेश के विभिन्न जनपदों के विभिन्न ग्रामों में, देश-भारत (INDIA)

6. Identification and definition of the element/cultural tradition of the India (Write “Yes” in one or more boxes to identify the domain(s) of intangible cultural heritage manifested by the element. If you tick ‘others’, specify the domain(s) in brackets.)

- i. (✓) oral traditions and expressions, including language as a vehicle of the intangible cultural heritage
ii. (✓) performing arts
iii. (✓) social practices, rituals and festive events

- iv. () knowledge and practices concerning nature and the universe
v. () traditional craftsmanship
vi. () other(s)

योजना के प्रस्तावित सांस्कृतिक विरासत/परम्परा की पहचान एवं उसकी परिभाषा/उसका विवरण

1. ✓ मौखिक परम्पराएं एवं अभिव्यक्तियाँ (भाषा इनमें अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के एक वाहक के रूप में है)

धोबिया नृत्य की परम्परायें सभी क्षेत्रों में मौखिक ही है। धोबी समुदाय के अनपढ़ लोग ही इस परम्परा के वाहक हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी इस नृत्य को आगे ले जाते हैं। इनके नृत्य में भाशा से ज्यादा अहम नृत्य भौली है जिसमें अन्तरंग अभिव्यक्तियां प्रकट होती हैं और यही धोबिया नृत्य की प्रमुख विशेषता है। इसके गायन में परिवेग के अनुरूप कुछ भावों को आंगु कला के जैसे भी अपना लिया जाता रहा है। भोजपुरी के साथ-साथ इसमें क्षेत्रीयता की भी पर्याप्त झलक दिखाई देती है।

2. ✓ प्रदर्शनकारी कलाएं

खांटी लोक में जन्मा धोबिया नृत्य एक प्रदर्शनकारी कला है। धोबिया नृत्य में घाघरा, पैजामा, पगड़ी आदि परिधानों का इस्तेमाल होता है। पखावज, कसावर, घण्टी तथा रणसिंहा का प्रयोग वाद्य यन्त्र के रूप में होता है। इसके अलावा जोरदार आवाज में गीत गाने वाला गायकवृन्द भी होता है और हंसोड़ पात्र की भी बड़ी भूमिका होती है। इसके अलावा कुछ नर्तक होते हैं जो थाप के साथ अपने बड़े घाघरे के साथ गोल-गोल घूमकर नाचते हैं। एक व्यक्ति मृदंग बजाता है और कुछ कलाकार घण्टी, डेढ़ताल (डण्डी) एवं झाल (मजीरा) एक साथ एक लय में बजाते हैं। गायकों एवं वाद्य यन्त्रों को बजाने वाले पंक्तिबद्ध होकर कभी खड़े रहकर तो कभी घूमकर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। नर्तक और हंसोड़ पात्र पूरे स्थान पर नृत्य करते हुए गोलाकार गिफ्ट होते रहते हैं। नर्तक के कमर में एक चौड़ी पट्टी जिसपर ढेर सारी घण्टियां लगी होती हैं, नृत्य में नर्तक कमर को आगे पीछे लचकाकर थाप और वाद्य यन्त्रों के साथ संगत पूर्ण नृत्य प्रस्तुत करता है जो विशेष आकर्षण उत्पन्न करती हैं। कमर में बंधी घण्टियों के साथ कमर के हिचकोले वाली नृत्य मुद्रा केवल धोबिया नृत्य में ही दिखाई देती है, जो इसकी विशेष पहचान है।

3. ✓ सामाजिक रीति-रिवाज, प्रथाएँ, चलन, परम्परा, संस्कार, एवं उत्सव आदि

आम तौर पर धोबिया नृत्य, धोबी जाति के भादी विवाह एवं अन्य अवसरों पर होता है। कालान्तर में इस नृत्य में महत्वपूर्ण सामाजिक साझेदारी निभाई और अन्य बिरादरी के भी भादी विवाह एवं अन्य अवसरों पर धोबिया नृत्य को बुलाया जाने लगा, जिससे भारत की मजबूत सामाजिक संरचना के निर्माण और धोबी समुदाय को सम्मान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।

4. प्रकृति एवं जीव-जगत के बारे में ज्ञान एवं परिपाटी व अनुशीलन प्रथाएँ

अनपढ़ ग्रामीणों वह भी खासकर निम्न जाति समुदाय के लोगों द्वारा किया जानेवाला नृत्य इत्यादि सीधे प्रकृति से आता है। प्रकृति ही उनकी गुरु होती है। जिसके आंचल में बैठकर इन लोक कलाओं की ककहरी बनती है। प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन, वृक्ष वनस्पतियों, जीवों, पशुओं का जिक्र इनके गीतों में होता है।

5. पारंपरिक शिल्पकारिता
6. अन्यान्य

7. Provide a brief summary description of the element that can introduce it to readers who have never seen or experienced it
कृपया याचना के प्रस्तावित सांस्कृतिक विरासत/परम्परा का एक रुचिपूर्ण सारगर्भित संक्षिप्त परिचय दें।

धोबिया नृत्य भोजपुरी क्षेत्र के लोक नृत्य परम्परा में सांस्कृतिक जीवन की एक जीवन्त रस धारा है। लोक जीवन में लोकरंजन से ज्यादा ये ग्रामीणों के जीवन में उल्लास भरने का काम करते हैं। अपने नाम के अनुरूप “धोबिया नृत्य” धोबी जाति द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। इस जाति विशेष का काम कपड़ों की धुलाई करना है। यह नृत्य जाति विशेष के भुम व मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। इस नृत्य में लगभग 15 कलाकार, जिनमें से कुछ लोग वाद्य बजाते हैं और कुछ नृत्य करते हैं। वाद्य यंत्रों में पखावज, कसावर, डेढ़ताल, मजीरा, रणसिंहा का प्रयोग होता है।

इस नृत्य में परम्परागत वेगभूषा कुर्ता, पैजामा, पगड़ी और नर्तक वृन्द सिर पर पगड़ी के साथ भारीर पर एक कुर्तीनुमा वस्त्र और घाघरा पहनते हैं, जिसमें कमर पर एक चौड़ी पट्टी में बहुत सारी घण्टियां लगी होती हैं, जिसे कमर को आगे-पीछे लचकदार झटके के साथ नृत्य किया जाता है।

नृत्य का आरम्भ वादकगण कतारबद्ध होकर वाद्यों से भुरु करते हैं, जिसमें रणसिंहा की आवाज सबसे तीव्र होती है। वाद्य यंत्रों के साथ अन्य सभी नर्तक और एक हंसोड़ पात्र (विदुशक) नृत्य करने वाले स्थान के बीचो बीच आकर नृत्य करने लगते हैं। इसके साथ ही साथ एक नर्तक लिल्ली घोड़ी को तेज दौड़ाते हुए चारों तरफ चक्कर लगाता है। उसी के साथ-साथ हंसोड़ भी तेजी से दौड़ते हुए घूम-घूम कर नृत्य करता है। अन्य नर्तक जो घाघरा पहने होते हैं और कमर में घण्टी बांधे रहते हैं। गोल-गोल घूमकर वृहद आकार का घाघरे से घेरा बनाते हैं। लिल्ली घोड़ी का प्रयोग प्रारम्भ में नहीं था, क्योंकि यह नृत्य श्रम से उपजा है। इसकी भुरुआत और विकास श्रम के बाद फुर्सत के समय को व्यतीत करने के लिए हुआ। अतः अन्य वाद्य एवं लिल्ली घोड़ी का समावेश बाद में ही हुआ जान पड़ता है।

नृत्य के प्रारम्भ में कुछ देर तक केवल नृत्य प्रस्तुत करते हैं जो धीरे-धीरे तीव्रता की ओर बढ़ता रहता है। उसके बाद अपन पारम्परिक गीतों को भी गाते हैं। मुख्य गायक की पंक्तियों को अन्य गायक दुहराते रहते हैं। इनके गीतों में कुछ पौराणिक उपख्यान और देवी देवताओं का स्तुति वन्दन आदि भी होता है। इसके अलावा गायन में सामाजिक रीति-रिवाजों और सामाजिक कुरीतियों को भी राचक ढंग से गाया जाता है। उदाहरण के तौर पर कुछ पंक्तियां –

“उठाये भइया पूछे भउजी से, काहें कोहनाइल बाडू।

नही खइली ह भात, सूति गइली हैं रात,
भइया पूछे भउजी से काहें कोहनाइल बाडू

येतनी बतिया सुनते भइया गइलें भउजी के पास
क तिरिया तोहिं भूख लगल बा, के तोहि लगल पियास
तोहार सुन्नर मुँहवा काहें के झुरायल बाटें
भइया पूछे भउजी से काहें के कोहनाइल बाडू।”

यह समुदाय भौक्षिक दृष्टि से उन्नत नहीं रहा है। इनके गीत मौखिक परम्पराओं से ही विकसित हुए हैं, जिसमें सिर्फ मनोरंजन ही नहीं अपनी पीडा का भी प्रकटिकरण मिलता है और इनके पारम्परिक काम-काज की झलक भी दिखती है। धोबी-धोबिन के संवाद जैसी चीजें भी इनके गीतों में मिलती हैं। जैसे—

मोटी-मोटी रोटिया पकइहा हो बरैठिन
जाये के पड़ी धोबी घाट हो धनिया
जाये के पड़ी धोबी घाट हो ।

वर्तमान में इस जातिय समुदाय के कुछ सीमित लोग ही अपनी इस पारम्परिक विधा को आंगिक रूप से अपनाये हुए हैं क्योंकि वो सामाजिक बदलाव के साथ-साथ सामंजस्य का अभाव महसूस कर रहे हैं और उपेक्षित जीवन जी रहे हैं। अपनी पारम्परिक नृत्य के प्रति उन्हें सम्मान और रोजी-रोटी का अभाव जान पड़ता है। अतः इसे बचाने के लिए इनकी सुरक्षा और हित का माहौल पैदा करना होगा।

8. Who are the bearers and practitioners of the element/Cultural Traditions? Are there any specific roles or categories of persons with special responsibilities for the practice and transmission of it? If yes, who are they and what are their responsibilities?
योजना के प्रस्तावित सांस्कृतिक विरासत/परम्परा के तत्वों के अधिकारी व्यक्ति और अभ्यासी कौन हैं ? क्या इन व्यक्तियों की कोई विशेष भूमिका है या कोई विशेष दायित्व है इस परम्परा और प्रथा के अभ्यास एवं अगली पीढ़ी को संचरण के निमित्त ? अगर है तो वो कौन हैं और उनका दायित्व क्या है।

1. यह नृत्य धोबी समुदाय का जातिय नृत्य है। अतः इस पारम्परिक नृत्य के अधिकारी व्यक्ति और अभ्यासी धोबी समाज के लोग हैं।
2. इस जाति के लोग अशिक्षित थे। इस लोक नृत्य का कोई लिखित विधान नहीं है। यह पारम्परिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानान्तरित हुआ है।
3. यह लोक नृत्य वर्तमान में समाज में आंगिक रूप से ही सुरक्षित है क्योंकि बदलते समय के हिसाब से ये अपने को पिछड़ा महसूस करते हैं और रोजी-रोटी के लिए अन्य पेगों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। एक तरफ पारिवारिक पेगा ही समाप्त हो रहा है तो दूसरी तरफ अपने पारम्परिक नृत्य को समाज के उच्च वर्ग द्वारा निम्न दृष्टि से देखे जाने या आत्म सम्मान न पा पाने के कारण इससे दूर हो रहे हैं और अगली पीढ़ी को पर्याप्त रूप से इसके लिए प्रमोट

नहीं कर रहे हैं।

4. इनकी पारम्परिक लोक संस्कृति और नृत्य को बचाने और सुरक्षित रखने का दायित्व इनके द्वारा तभी सम्भव हो सकेगा जब इन्हें अर्थोपार्जन और सम्मान के साथ-साथ समाज और सरकार का पर्याप्त संरक्षण दिया जायेगा।

(इनके लोक पारम्परिक विधा को अगली पीढ़ी में स्थानान्तरित करने का दायित्व पूरा करने के लिए इन्हें समर्थन और सम्बल प्रदान करने के लिए अनेकों प्रयास जबर्दस्त ढंग से लम्बे समय तक करने होंगे।)

9. How are the knowledge and skills related to the element transmitted today?

ज्ञान और हुनर/कुशलता का वर्तमान में संचारित तत्त्वां के साथ क्या अंतर सम्बन्ध है ?

- इस सांस्कृतिक विरासत के लोग जातीय समुदाय विशेष से सम्बन्ध रखते हैं जो समाज के सर्वथा

अशिक्षित वर्ग से रहे हैं, परन्तु केवल पारम्परिक ज्ञान के सहारे इनकी विधा का हुनर और कुशलता देख कर अचम्भा होता है।

- इनकी हुनर और कुशलता के आगे 'ज्ञान' शब्द फीका पड़ जाता है। इनकी विधा के सन्दर्भ में ज्ञान इनके पारम्परिक अभ्यास का कुशल परिचायक है और इसके लिए इन्हे किसी उच्च शिक्षा को प्राप्त करने के लिए किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय की आवश्यकता नहीं होती। ये पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार और प्रकृति के आंगन में अपने पुरखों के और बड़ों के संरक्षण में स्वतःस्फूर्त अभ्यास से न केवल कुशल बल्कि इतने पारंगत हो जाते हैं जो किसी उच्च प्रशिक्षण वाले महाविद्यालय द्वारा प्राप्त करना मुश्किल जान पड़ता है।
- ज्ञान का सम्बन्ध शास्त्रज्ञता से है और हुनर तथा कुशलता का सम्बन्ध लोकज्ञता से है। शास्त्रज्ञता ने लोकज्ञता को पर्याप्त सम्मान नहीं दिया है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आज के वर्तमान आधुनिक समाज में इन पारम्परिक कलाओं की स्थिति कैसी है, यहीं जान लेना पर्याप्त होगा। विकल्प केवल यही शेष है कि इस 'ज्ञान' को इसके पारम्परिक विद्यालय में ही समय रहते सवाँर लिया जाय और इस हुनर की निरन्तरता बनायी रखी जाए।

10. What social functions and cultural meanings do the element/cultural tradition have today for its community?

आज वर्तमान में सम्बंधित समुदाय के लिए इन तत्त्वों का सामाजिक व सांस्कृतिक आयोजन क्या मायने रखता है ?

अन्य प्रान्तों में लोक संस्कृति को समाज का पर्याप्त संरक्षण मिला, जबकि भोजपुरी क्षेत्र में गरीबी ज्यादा रही और लोग रोजी-रोटी के लिए संघर्षरत रहे और समाज का पर्याप्त समर्थन

नहीं मिला। इसलिए आज वर्तमान में यह समुदाय अपने इन पारम्परिक लोक तत्वों का सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रकाशन/आयोजन के लिए अत्यधिक दुख दर्द का सामना कर रहा है।

एक तरफ पूर्व की पीढ़ी के आंखों में अपनी लोक परम्परा को खो देने की पीड़ा स्पष्ट दिखाई दे रही है। तो दूसरी तरफ पेट के लिए अगली पीढ़ी को इसे अपनाने के लिए जोर नहीं देना चाहते। पारिवारिक

पेना ही जब समाप्त हो रहा हो और रोजी-रोटी का संकट पैदा हो गया हो तो धन प्रधान समाज में ये

पारम्परिक सन्दर्भों में अपने दायित्व से विमुख होने के लिए मजबूर हैं। हालांकि बातों-बातों में यह स्वीकार

करते हैं कि यदि इन्हें रोजी-रोटी की सुरक्षा, सम्मान और इनका हित सुरक्षित रहे तो ये अपनी लोक

पारम्परिक विधाओं को संजोने और उसे आगे बढ़ाने के लिए काफी हद तक तैयार हैं।

11. Is there any part of the element that is not compatible with existing international human rights instruments or with the requirement of mutual respect among communities, groups and individuals, or with sustainable development? i.e. describe any aspect of the element/cultural tradition that may be unacceptable to Law of the country or may be in opposition to practicing community's harmony with others.

क्या योजना के प्रस्तावित सांस्कृतिक विरासत/परम्परा के तत्वों में ऐसा कुछ है जिसे प्रतिपादित अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार के मानकों के प्रतिकूल माना जा सकता है या फिर जिसे समुदाय, समूह या किसी व्यक्ति के आपसी सम्मान को ठेस पहुँचती हो या फिर वे उनके स्थाई विकास को बाधित करते हों, क्या प्रस्तावित योजना के तावत या फिर सांस्कृतिक परम्परा में ऐसा कुछ है जो देश के कानून या फिर उनसे जुड़े समुदाय के समन्वय को या दूसरों को क्षति पहुँचाती हो? विवाद खड़ा करती हो?

प्रस्तावित सांस्कृतिक विरासत/परम्परा के तत्वों में ऐसा कुछ भी नहीं है।

12. Your Project's contribution to ensuring visibility, awareness and encouraging dialogue related to the element/cultural tradition.

प्रस्तावित सांस्कृतिक विरासत/परम्परा की योजना क्या उससे सम्बंधित संवाद के लिए पारदर्शिता, सजगता और प्रोत्साहन को सुनिश्चित करती है

बदलते परिवेश में सामाजिक ताना-बाना इस कदर बदल गया है कि धोबिया नृत्य जैसे पारम्परिक लोक नृत्यों की कद्र समाप्त हो गयी है। इससे भारत की परम्परागत लोक संस्कृति को भी क्षति पहुँची है।

धोबिया नृत्य का कोई लिखित साहित्य या पुस्तक नहीं है। यह मौखिक रूप से एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाता रहा है। इसके वाद्य यन्त्र, गायकी और नृत्य को देखकर हो बच्चों के मन पर इसके संस्कार पड़ते जाते थे और वे सहजता से इसे आत्मसात कर लेते थे। इस जाति के पारिवारिक समारोहों में किया जाने वाला धोबिया नृत्य बदलते परिवेश में पीछे छूटा जा रहा है।

इसका मुख्य कारण है इनके पैतृक व्यवसाय का खत्म होना। आजीविका के लिए दूसरे व्यवसाय को अपनाना और भाहर की ओर पलायन। दूसरी ओर मनोरंजन के आधुनिक साधनों को बढ़ना। इससे इस समुदाय के सम्मुख पेट भरने की और सम्मानजनक जीवन जीने की समस्या आ खड़ी हुई है।

धोबिया नृत्य को आज भी जो लोग कर रहे हैं वे आशंकित हैं कि वे कितने दिन तक इसे जीवित रख सकेंगे, क्योंकि इसके कलाकार गिने चुने हैं और अगली पीढ़ी अब इसे सीखना नहीं चाहती।

प्रस्तावित सांस्कृतिक विरासत/परम्परा की योजना से इन कलाकारों की आंखों में कुछ आशा उत्पन्न होने के सम्भावना है। उन्हें भी ऐसा लगता है कि इस प्रकार की योजना से उनका कुछ संरक्षण किया जाय तो उनकी यह मरती विधा बच जायेगी।

धोबिया नृत्य के पारम्परिक स्वरूप को यदि पर्याप्त मंच दिया जाय और इसे बचाने का यथेश्ठ प्रयास किया जाय। इसे प्रदर्शित और ख्याति दिलायी जाय ता यह समाज के अन्य लोगों का भी ध्यान आकृष्ट करेगी। समुदायों और राज्यों के बीच संवाद को बढ़ायेगी।

धोबिया नृत्य लोक जीवन की एक जीवन्त विधा है जो फैलेगी तो प्रकाश फैलायेगी। इसके लिए आवश्यक है कि इन परम्परागत लोक कलाकारों को हर सहायता देकर प्रोत्साहित किया जाय और उनकी विधा का संवर्धन किया जाय। उसके इतिहास को गहराई से समझा जाय और इनकी पारम्परिक कला का भाोध-प्रलेखन लिपिबद्ध किया जाय।

समाज को इस बात के लिए जागरूक होना चाहिए कि अपनी लोक परम्पराओं और विधाओं को जीवित रखकर ही अपन अतीत को जीवित रख सकते हैं। इसलिए हमारे वर्तमान के निर्माण में इसकी सहायक भूमिका है। हम जो आज हैं वह एक दिन में घटित घटना नहीं, अनवरत परिवर्तन की श्रृंखला की कड़ी भर हैं।

उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर यह बात स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है कि प्रस्तावित योजना सम्बन्धित परम्परा से संवाद के लिए पर्याप्त पारदर्शिता, सजगता और प्रोत्साहन को सुनिश्चित करती है।

13. Information about the safeguarding measures that may protect or promote the element/cultural tradition.

(Write "Yes" in one or more boxes to identify the safeguarding measures that have been and are

currently being taken by the communities, groups or individuals concerned)

- () transmission, particularly through formal and non-formal education
- () identification, documentation, research
- () preservation, protection
- () promotion, enhancement
- () revitalization

योजना के प्रस्तावित सांस्कृतिक विरासत/परम्परा के तत्त्वों के संरक्षण के लिए उठाए जाने वाले उपायों/कदमों/प्रयासों के बारे जानकारी में जो उसको संरक्षित या संवर्धित कर सकते हैं। उल्लेखित उपाय/उपायों को पहचान कर चिन्हित करें जिसे वर्तमान में सम्बंधित समुदायों, समूहों, और व्यक्तियों द्वारा अपनाया जाता है।

1. औपचारिक एवं अनापचारिक तरीके से प्रशिक्षण (संचरण)

हां, इस पारम्परिक लोक विद्या के संरक्षण/संवर्धन में प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण उपकरण साबित हो सकती है और इसके लिए औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों तरीके के प्रशिक्षण लाभकारी होंगे।

2. पहचान, दस्तावेजीकरण एवं शोध

हां, इसकी व्यापक स्तर पर खोज, पहचान एवं भाोधपूर्ण प्रलेखन एवं प्रकाशन से इसका पर्याप्त प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए।

3. रक्षण एवं संरक्षण

हां, इसे बचाने के लिए इनके सामाजिक हितों एवं रोजी-रोटी की उपलब्धता की दिशा में कुछ समर्थन देना चाहिए, जिससे इनके पारम्परिक स्वरूप का रक्षण एवं संरक्षण सम्भव हो सके।

4. संवर्धन एवं बढ़ावा

हां, इन लोक विद्याओं को अत्यधिक संवर्धन एवं बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से इनकी कला के विकास हेतु पर्याप्त माहौल मिल सके। ऐसी सुविधाएं, कार्यशालाएं, मंचीय प्रदर्शन और इन्हें संवारने के सभी उपायों को अपनाने की आवश्यकता है।

5. पुनरुद्धार/पुनर्जीवन

हां, इनकी अनगढ़ता को संवारने के साथ ही साथ इसे पुनर्जीवन प्रदान करने के लिए इन्हें वैश्वीकरण, वाद्य यन्त्र, आर्थिक सहायता, सीढ़ी दर सीढ़ी उन्नत स्थिति प्राप्त करने हेतु कार्यशालाओं का आयोजन एवं पर्याप्त सहायता, समर्थन, आर्थिक सम्बल, प्रोत्साहन और मार्गदर्शन कर इसका पुनरुद्धार किया जा सकता है।

14. Write about the measures taken at local, state and national level by the Authorities to safeguard the element/cultural tradition?

स्थानीय, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर योजना के प्रस्तावित सांस्कृतिक विरासत परम्परा के तत्वों के संरक्षण के लिए अधिकारियों ने क्या उपाय किये उनका विवरण दें ?

स्थानीय स्तर पर प्रशासन, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर कई ऐसे विभाग एवं सरकारी संस्थायें हैं जिनके कार्य क्षेत्र में इस प्रकार के सांस्कृतिक विरासत एवं परम्परा के तत्वों के संरक्षण का दायित्व आता है। परन्तु उनके द्वारा इस दिशा में क्या ठोस उपाय किये गये हैं। इसकी समुचित जानकारी इनके द्वारा ही उपलब्ध हो सकती है, जिसका कोई विवरण हमें प्राप्त नहीं हो सका है। यदा कदा इन इकाईयों द्वारा इस दिशा में कुछ कार्यक्रमों का आयोजन दिखाई दे जाता है, परन्तु इससे इसकी भलाई के उपाय 'ऊंट के मुँह में जीरा' के समान ही सम्भव हो सका है। अतः इस दिशा में सभी को पर्याप्त विचार एवं कदम उठाने की आवश्यकता है।

15. Write about the threats, if any, to the element/cultural tradition related to its practice, visibility and future longevity. Give facts and relevant reasons based on the current scenario. योजना के प्रस्तावित सांस्कृतिक विरासत/परम्परा के तत्वों के व्यवहार, जीवन्तता और भविष्य को क्या खतरे हैं ? वर्तमान परिदृश्य के उपलब्ध साक्ष्यों और सम्बंधित कारणों का ब्यौरा दें।

प्रस्तावित सांस्कृतिक विरासत/परम्परा के तत्वों के व्यवहार, जीवन्तता और भविष्य को कई प्रकार के खतरे

दिखाई पड़ रहे हैं—

- 1- परम्परागत कलाकारों द्वारा आजीविका हेतु अपने पैतृक कार्यों से विलग होना, जिससे इस विधा के अस्तित्व को भी खतरा है।
 - 2- अगली पीढ़ी द्वारा इन परम्पराओं को न अपनाए जाने से इन विधाओं के विलुप्त होने का खतरा है।
 - 3- पारम्परिक सामाजिक बन्धनों का क्षीर्ण होना जिसमें पहले इन विधा के कलाकारों की महत्वपूर्ण सामाजिक सहभागिता हुआ करती थी।
 - 4- व्यवसायीकरण के दौर में मनोरंजन के बढ़ते अन्यान्य साधनों के कारण जन समुदाय का इन विधाओं को विस्मृत और उपेक्षित किया जाना।
 - 5- सरकार और अन्य संगठनों द्वारा इन परम्परागत कलाकारों को लाभ न पहुंचना।
 - 6- बदलते दौर के साथ इन विधाओं के पारम्परिक स्वरूप में तेजी से बदलाव का होना जिससे इसके मूल स्वरूप को क्षति हुई है।
- उपरोक्त कारणों से इस पारम्परिक तत्वों के व्यवहार, जीवन्तता और भविष्य को खतरा है

16. Safeguarding measures proposed

(This section should identify and describe safeguarding measures to protect and promote the element/cultural tradition. Such measures should be concrete and can be implemented to formulate

future cultural policy for safeguarding and promoting the element/cultural tradition in the state).
संरक्षण के क्या उपाय अपनाने के सुझाव हैं ?

(इसमें उन उपायों के पहचान कर उनकी चर्चा करें जिससे के प्रस्तावित सांस्कृतिक विरासत/परम्परा के तत्त्वों के संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा मिल सके/ये उपाय ठोस हों जिसे भविष्य की सांस्कृतिक नीति के साथ आत्मसात किया जा सके ताकि के प्रस्तावित सांस्कृतिक विरासत/परम्परा के तत्त्वों का राज्य स्तर पर संरक्षण किया जा सके।)

- 1- इन जातीय परम्पराओं को सुरक्षित रखने के लिए इन्हे व्यापक प्रचार प्रसार के द्वारा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और इनके दस्तावेजीकरण के लिए खोज एवं पहचान के साथ शोधपूर्ण आलेखन और उसका प्रकाशन किया जाना चाहिए।
- 2- समाज में इसके व्यवहारिक स्वरूप को बचाए रखने के लिए इन दलों का वर्तमान समय अनुरूप शिक्षण-प्रशिक्षण और इनकी कला के माध्यम से आर्थिक संरक्षण प्रदान की जानी चाहिए।
- 3- इनका संवर्धन इस प्रकार करना होगा जिससे ये अपने को उपेक्षित न महसूस करें और इस कला को अपनाये रखने में वे आत्मसम्मान का अनुभव करें।
- 4- अगली पीढ़ी इस विधा को अपनाने के लिए उत्साहित हो, ऐसे कार्यक्रमों को लम्बे समय तक संचालित करना और इसमें इनकी भागीदारी को प्रोत्साहन देने के लिए सुविधाएँ प्रदान करना होगा।
- 5- स्थानीय/ राज्य /राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर इनके प्रदर्शनों/आयोजनों को बढ़ावा देना होगा।
- 6- इनके स्तर में सुधार के लिए इन्हे वेश-भूषा, वाद्य यंत्र, उन्नत स्थिति प्राप्त करने हेतु कार्यशालायें एवं इसी प्रकार की अन्य सुविधाएँ प्रदान करनी होंगी।

17. Community Participation (Write about the participation of communities, groups and individuals related to the element/cultural tradition in formulation of your project).

सामुदायिक सहभागिता

(प्रस्तावित सांस्कृतिक विरासत/परम्परा के तत्त्वों के संरक्षण की योजना में समुदाय, समूह, व्यक्ति की सहभागिता के बारे में लिखें)

प्रस्तावित योजना का संरक्षण का सबसे अहम हिस्सा समुदाय/ समूह और व्यक्ति की सहभागिता पर निर्भर है।

टूटती सामाजिक कड़ियों ने इन विधाओं को भारी क्षति पहुंचाई है। सामाजिक स्तर पर यदि इनके हिस्से का

सम्बल और आत्मसम्मान प्राप्त होता रहे तो यह इन कलाकारों के लिए संजीवनी सिद्ध होगी।

बदले हुए सामाजिक परिवेश में पहले की तरह सामाजिक रीति-रिवाजों में इसका चलन समाप्ती के कगार पर

है। अतः इस समुदाय के लोगों और इन कलाकारों/दलों को मंच देने के अवसर की वृद्धि करने पर ही

इनकी सहभागिता में बढ़ोत्तरी हा सकती है।

18. Concerned community organization(s) or representative(s)

(Provide detailed contact information for each community organization or representative or other non-governmental organization that is concerned with the element such as associations, organizations, clubs, guilds, steering committees, etc.)

- i. Name of the entity
- ii. Name and title of the contact person
- iii. Address
- iv. Telephone number
- v. E-mail
- vi. Other relevant information.

सम्बंधित समुदाय के संगठन(नों) या प्रतिनिधि(यों) (प्रस्तावित सांस्कृतिक विरासत/परम्परा के तत्वों से जुड़े

हर समुदायिक संगठन या प्रतिनिधि या अन्य गैर सरकारी संस्था जैसे की एसोसिएशन, आर्गेनाइजेशन, क्लब, गिल्ड, सलाहकार समिति, स्टीयरिंग समिति आदि)

1- संस्था /कम्पनी/ हस्ती का नाम

2- सम्बंधित/ अधिकारी व्यक्ति का नाम पदनाम व संपर्क

3- पता

4- फोन नंबर : मोबाइल न. :

5- ईमेल :

6- अन्य सम्बंधित जानकारी

कपया देखें संलग्नक संख्या-1

इस पारम्परिक कला के व्यक्ति सर्वथा अशिक्षित वर्ग से रहें हैं। अतः प्रारम्भ से ही केवल इस विधा पर केंद्रित कोई संगठन नहीं है। कुछ जगहों पर इनकी जातिगत यूनियन आदि हो सकती है जो किसी भी प्रकार से इस सांस्कृतिक विरासत/ परम्परा के प्रस्तावित योजना के दृष्टिकोण से कोई कार्य नहीं करती।

ऐसे में जो कलाकार एवं दल इस विधा के प्रदर्शन में संलग्न हैं वहीं इस बिन्दू के सही प्रतिनिधि हैं जिनकी सूची एवं विवरण संलग्नक संख्या 1 पर प्रस्तुत है।

19. Give information of any Inventory, database or data creation centre (local/state/national) that you may be aware of or of any office, agency, organisation or body involved in the maintenance of the said inventory etc.

किसी मौजूदा इन्वेंटरी, डेटाबेस या डाटा क्रिएशन सेंटर (स्थानीय/राज्यकीय/राष्ट्रीय) की जानकारी जिसका आपको पता हो या आप किसी कार्यालय, एजेंसी, आर्गेनाइजेशन या व्यक्ति की जानकारी को इस तरह की सूची को संभल कर रखता हो उसकी जानकारी दें।

- 1- इस प्रकार की कोई भी जानकारी अभी तक अप्राप्य है।
- 2- इस योजना के तहत किये जा रहे कार्यों से इस प्रकार की सूचना संकलित होने की उम्मीद सर्वथा उपयुक्त है।
- 3- वर्तमान में हमारे द्वारा किये गये कार्य से जिन व्यक्तियों की जानकारी एकत्र हुई है (संलग्नक संख्या-1) उन्हें हम व्यवस्थित रखते हुए आने वाले समय में उत्तरोत्तर वृद्धि करेंगे।

20. Principal published references or documentation available on the element/cultural tradition (Books, articles, audio-visual materials, names and addresses of reference libraries, museums, private endeavours of artistes/individuals for preservation of the said element, publications or websites).

प्रस्तावित सांस्कृतिक विरासत/परम्परा के तत्त्वों से संबंधित प्रमुख प्रकाशित संदर्भ सूची या दस्तावेज़ (किताब, लेख, ऑडियो-विशुअल सामग्री, लाइब्रेरी, म्यूजियम, प्राइवेट सहृदयों संग्राहकों, कलाकारों व्यक्तियों के नाम और पते तथा वेबसाइट आदि जो सम्बंधित सांस्कृतिक विरासत/परम्परा के तत्त्वों के बारे में हों।

यह विरासत सर्वथा मौखिक परम्परा के रूप में ही है, अतः कोई किताब या महत्वपूर्ण अभिलेख प्राप्त नहीं

है।

कुछ लेखकों, सुहृदय संग्राहकों में कभी-कभी इस प्रकार का कुछ कार्य किया है, जिसका वे सुरक्षित

संकलन उपलब्ध कराने में असमर्थ हैं, मगर कुछ प्रयासों से आगे ऐसे लेख एवं अन्य सामग्री उपलब्ध

कराने का वादा किया है।

हस्ताक्षर : —
 नाम व पदनाम : — राजकुमार शाह
 (निदेशक)
 संस्थान का नाम (यदि है तो) : — समूहन कला
 संस्थान
 पता : — एफ-6 के सामने,
 रैदोपुर कालोनी,
 आजमगढ़-276001
 फोन न. : — —————
 मोबाइल : — 09451565397
 ईमेल : — shikharrajshah@gmail.com

वेबसाइट : _____

समूहन कला संस्थान द्वारा संस्कृति मंत्रालय (भारत सरकार) एवं संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली के सहयोग/माध्यम से भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत एवं परम्पराओं/विधाओं पर किये गये कार्य के क्रम में संकलित कलाकारों का परिचय-विवरण प्रपत्र



- 1- सांस्कृतिक विरासत/परम्परा का नाम :- धोबिया नृत्य
- 2- संस्था/कम्पनी/हस्ती का नाम :- सुनील कुमार
- 3- सम्बंधित/अधिकारी व्यक्ति का नाम,
पदनाम व संपर्क :- X
- 4- प्रतिनिधि ग्राम, समुदाय, समूह,
परिवार एवं व्यक्ति का नाम :-
- 5- पता :- ग्राम व पो0-मरदह, थाना-मरदह,
तहसील-सदर, जिला-गाजीपुर
- 6- फोन नंबर/मोबाइल न. :-09935251758
- 7- ईमेल :- X
- 8- अन्य सम्बंधित जानकारी :-
 - (i) गुरु का नाम :- स्व0 बाबू नन्दन
 - (ii) पिता का नाम :- परमा राम
 - (iii) माता का नाम :- स्व0 गिरजा देवी
 - (iv) शिक्षा :- एम0ए0
 - (v) जन्मतिथि/उम्र :- 01-01-1973
 - (vi) कब से संलग्न हैं :- 10 वर्षों से

समूहन कला संस्थान द्वारा संस्कृति मंत्रालय (भारत सरकार) एवं संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली के सहयोग/माध्यम से भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत एवं परम्पराओं/विधाओं पर किये गये कार्य के क्रम में संकलित कलाकारों का परिचय-विवरण प्रपत्र



- 1- सांस्कृतिक विरासत/परम्परा का नाम :- धोबिया नृत्य
- 2- संस्था/कम्पनी/हस्ती का नाम :- जीवन राम
- 3- सम्बंधित/अधिकारी व्यक्ति का नाम,
पदनाम व संपर्क :- X
- 4- प्रतिनिधि ग्राम, समुदाय, समूह,
परिवार एवं व्यक्ति का नाम :-
- 5- पता :- ग्राम-अरखपुर, पो0-पाण्डेयपुर राधे,
वि0 ख0-मरदह, थाना-बिरनों
जिला-गाजीपुर
- 6- फोन नंबर/मोबाइल न. :- 0780099203
- 7- ईमेल :- X
- 8- अन्य सम्बंधित जानकारी :-
 - (i) गुरु का नाम :- श्रीराम जनम राम
 - (ii) पिता का नाम :- श्री रामाश्रय राम
 - (iii) माता का नाम :- श्रीमती मैना देवी
 - (iv) शिक्षा :- इण्टरमीडिएट
 - (v) जन्मतिथि/उम्र :- 27-09-1987
 - (vi) कब से संलग्न हैं :- 8 वर्षों से

समूहन कला संस्थान द्वारा संस्कृति मंत्रालय (भारत सरकार) एवं संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली के सहयोग/माध्यम से भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत एवं परम्पराओं/विधाओं पर किये गये कार्य के क्रम में संकलित कलाकारों का परिचय-विवरण प्रपत्र



- 1- सांस्कृतिक विरासत/परम्परा का नाम :- धोबिया नृत्य
- 2- संस्था/कम्पनी/हस्ती का नाम :- छोटे लाल
- 3- सम्बंधित/अधिकारी व्यक्ति का नाम,
पदनाम व संपर्क :- X
- 4- प्रतिनिधि ग्राम, समुदाय, समूह,
परिवार एवं व्यक्ति का नाम :-
- 5- पता :- ग्राम-गोसाईपुर, पो0-मोहाव,
थाना-चोलापुर, जिला-वाराणसी
- 6- फोन नंबर/मोबाइल न. :- 09648779835
- 7- ईमेल :- X
- 8- अन्य सम्बंधित जानकारी :-
 - (i) गुरु का नाम :- पंचम कन्नौजिया
 - (ii) पिता का नाम :- कंगल
 - (iii) माता का नाम :-
 - (iv) शिक्षा :- अशिक्षित
 - (v) जन्मतिथि/उम्र :- 40 वर्ष
 - (vi) कब से संलग्न हैं :- 15 वर्षों से

समूहन कला संस्थान द्वारा संस्कृति मंत्रालय (भारत सरकार) एवं संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली के सहयोग/माध्यम से भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत एवं परम्पराओं/विधाओं पर किये गये कार्य के क्रम में संकलित कलाकारों का परिचय-विवरण प्रपत्र



- 1- सांस्कृतिक विरासत/परम्परा का नाम :- धोबिया नृत्य
- 2- संस्था/कम्पनी/हस्ती का नाम :- उमेठी कन्नौजिया
- 3- सम्बंधित/अधिकारी व्यक्ति का नाम,
पदनाम व संपर्क :- X
- 4- प्रतिनिधि ग्राम, समुदाय, समूह,
परिवार एवं व्यक्ति का नाम :-
- 5- पता :- ग्राम व पो0-उबारपुर, तहसील-लालगंज
जिला-आजमगढ़
- 6- फोन नंबर/मोबाइल न. :- 08052188624
- 7- ईमेल :- X
- 8- अन्य सम्बंधित जानकारी :-
 - (i) गुरु का नाम :- स्व0 प्रेम कन्नौजिया
 - (ii) पिता का नाम :- जीबोध कन्नौजिया
 - (iii) माता का नाम :- श्रीमती कमला देवी
 - (iv) शिक्षा :- बी0ए0
 - (v) जन्मतिथि/उम्र :- 02-07-1990
 - (vi) कब से संलग्न हैं :- 5 वर्षों से



Scheme for "Safeguarding the Intangible Cultural Heritage and Diverse Cultural Traditions of India"

Form for National Inventory Register of Intangible Cultural Heritage of India

भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत एवं परम्पराओं के संरक्षण की योजना का प्रपत्र

1. Name of the State
प्रस्तावित योजना का कार्यक्षेत्र राज्य

उत्तर प्रदेश
(UTTAR PRADESH)

2. Name of the Element/Cultural Tradition (in English)
योजना के प्रस्तावित सांस्कृतिक विरासत/परम्परा का नाम (क्षेत्रीय, स्थानीय, हिंदी एवं अंग्रेजी में)

जांघिया नृत्य (इसे अहिरवा और फरुवाही नृत्य भी कहा जाता है)
(JHANGHIYA or AHIRAWA or PHAROOWAHI DANCE)

3. Name of the element in the language and script of the community Concerned, if applicable
योजना के प्रस्तावित सांस्कृतिक विरासत/परम्परा से सम्बंधित समुदाय का भाषिक क्षेत्र और भाषा, उपभाषा तथा बोली का विवरण

भाषिक क्षेत्र – पूर्वी उत्तर प्रदेश
भाषा – भोजपुरी
उपभाषा और बोली – पश्चिमी भोजपुरी एवं कहीं-कहीं अवधी मिश्रित भोजपुरी

4. Name of the communities, groups or, if applicable, individuals concerned (Identify clearly either of these concerned with the practice of the said element/cultural tradition)
योजना के प्रस्तावित सांस्कृतिक विरासत/परम्परा से स्पष्ट रूप से सम्बंधित प्रतिनिधि ग्राम,

समुदाय, समूह, परिवार एवं व्यक्ति का नाम एवं संपर्क (विवरण अलग से संलग्न करें)

प्रतिनिधि ग्राम – पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेक गांव
समुदाय एवं समूह – यादव (अहीर) समुदाय
परिवार एवं व्यक्ति का नाम एवं संपर्क – व्यक्तियों के नाम, ग्राम एवं पता आदि विवरण अलग से संलग्न है।

संलग्नक संख्या – B-1

5. Geographical location and range of the element/cultural tradition (Please write about the other states in which the said element/tradition is present.
योजना के प्रस्तावित सांस्कृतिक विरासत/परम्परा के तत्वों की जीवंतता का विस्तारित भौगोलिक क्षेत्र (ग्राम, प्रदेश, राज्य, देश, महादेश आदि) जिनमें उनका अस्तित्व है/पहचान है।

उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वी प्रदेश के विभिन्न जनपदों के विभिन्न ग्रामों में, देहा-भारत (INDIA)

6. Identification and definition of the element/cultural tradition of the India (Write “Yes” in one or more boxes to identify the domain(s) of intangible cultural heritage manifested by the element. If you tick ‘others’, specify the domain(s) in brackets.)

- i. (✓) oral traditions and expressions, including language as a vehicle of the intangible cultural heritage
- ii. (✓) performing arts
- iii. (✓) social practices, rituals and festive events
- iv. () knowledge and practices concerning nature and the universe
- v. () traditional craftsmanship
- vi. () other(s)

योजना के प्रस्तावित सांस्कृतिक विरासत/परम्परा की पहचान एवं उसकी परिभाषा/उसका विवरण

1. ✓ मौखिक परम्पराएं एवं अभिव्यक्तियाँ (भाषा इनमें अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के एक वाहक के रूप में है)
2. ✓ प्रदर्शनकारी कलाएं
3. ✓ सामाजिक रीति-रिवाज, प्रथाएँ, चलन, परम्परा, संस्कार, एवं उत्सव आदि
4. प्रकृति एवं जीव-जगत के बारे में ज्ञान एवं परिपाटी व अनुशीलन प्रथाएं
5. पारंपरिक शिल्पकारिता
6. अन्यान्य

जांधिया नृत्य यादव समुदाय का जातिय नृत्य है। इसका कोई लिखित साक्ष्य या

भास्त्र

उपलब्ध नहीं है, बल्कि यह मौखिक परम्पराओं, लोक श्रुतियों एवं अभिव्यक्तियों के माध्यम से इस समुदाय में

विद्यमान है। यह एक प्रदर्शनकारी कला है, जो इस समुदाय द्वारा खुशी के अवसरों के साथ-साथ सामाजिक

रीति-रिवाजों एवं उत्सवों में भी चलन में रहा है।

7. Provide a brief summary description of the element that can introduce it to readers who have never seen or experienced it
कृपया योजना के प्रस्तावित सांस्कृतिक विरासत/परम्परा का एक रुचिपूर्ण सारगर्भित संक्षिप्त परिचय दें।

जांधिया अथवा जांगिया नृत्य विशेषतः यादव (अहिर) समुदाय का जातीय नृत्य है, इसी कारण इसे अहिरवा नृत्य भी कहते हैं। कुछ क्षेत्रों में इस फरुवाही नृत्य भी कहा जाता है, क्योंकि इसे फार के साथ गाया बजाया जाता है। इसके अलावा नर्तक के कूद कर नाचने और तरह-तरह के करतब दिखाने को इस नृत्य में शामिल करने के कारण, जिसे स्थानीय भाषा में फरी कहा जाता है, इसे फरुवाही नृत्य कहा जाता है। अहीर जाति के नाम पर इसे अहिरवा और नृत्य की वेगभूषा में एक विशेष प्रकार का जांधिया, जिसपर घुंघरू टंके होते हैं, के कारण इसका नाम जांधिया नाम प्रचलित हुआ है।

यह नृत्य भोजपुरी भाषी इलाकों, पूर्वी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के यादव समुदाय में पाया जाता है। इस क्षेत्र के अहीर लोग खुशी के मौके पर यह नृत्य करते हैं। इस समुदाय के लोगों में मान्यता है कि यह भगवान श्रीकृष्ण का नृत्य है। इसकी भुरुआत द्वापर युग में भगवान श्रीकृष्ण के द्वारा हुई है। भगवान श्रीकृष्ण जब ग्वाल सखाओं के संग गाय चराते थे तो उस समय को व्यतीत करने के लिए और कंस की सेना के समानान्तर अपने समुदाय के लोगों को सशक्त बनाने या भारीरिक सौशठव प्राप्त करने हेतु इस नृत्य भौली का विकास हुआ।

विद्वानों का मत है कि प्रारम्भ में यह सांकेतिक (मौन) नृत्य था। इसमें वाद्यों या ध्वनियों का अभाव था। यह नृत्य मौन रूप में इसलिए किया जाता था कि कंस की सेना/जासूसों को इनकी गतिविधियों के बारे में पता न चल सके। कालान्तर में धीरे-धीरे इसमें मंजीरा, नगाड़ा, घुंघरू, बांसुरी एवं अन्य वाद्य यंत्र शामिल हुए, लेकिन शृंगार का पुट इसमें प्रारम्भ से हो माना जाता है। गीतों का प्रयोग इसमें बहुत बाद में जुड़ा होगा। अभी भी इस नृत्य का प्रस्तुतिकरण केवल संगीत के साथ भी होता है। अतः इसे देखकर स्पष्ट हो जाता है कि इस नृत्य के साथ गीत प्रस्तुत नहीं किये जाते रहे होंगे। बाद में इसके प्रस्तुतिकरण में विभिन्न गीतों का समावेश कर लिया गया। विद्वानों का मत है कि इस प्रकार का बदलाव 12वीं सदी के आस-पास हुआ, जब कला संस्कृति और भाषा में लोगों ने बहुत से बदलाव कर लिये थे। इससे इसके पारम्परिक

स्वरूप में विभिन्नता उत्पन्न हुई। कुछ दल इसके प्रस्तुतिकरण में कुछ प्रयोग भी शामिल करने लगे हैं, इसे मिलावट मानकर विभिन्नताओं ने इसे अनुचित ठहराया है क्योंकि इससे इसके पारम्परिक स्वरूप के बिगड़ने या नष्ट होने का खतरा है।

भौगोलिक भिन्नता अथवा क्षेत्रीयता के आधार पर अलग-अलग स्थानों पर इसमें थोड़ी भिन्नता भी

दिखाई देती है। साथ ही इनके गीत-संगीत में क्षेत्रीयता और भाशा (स्थानीय बोली) का फर्क भी दिखता है। स्थानीयता का यही पुट नृत्य के मूवमेन्ट और वेगभूशा में भी देखने को मिलती है। वेगभूशा में कहीं घुंघरू युक्त जांधिया का प्रयोग मिलता है तो कहीं नहीं मिलता। कहीं कलाकार केवल धोती गंजी पर नृत्य करते हैं तो कहीं राधा कृष्ण के प्रसंग या लीला के अभिनय को नृत्य में शामिल करते हैं। कहीं पूरी तरह से कृष्ण की तरह वस्त्र (कछनी, अंगरखा, मुरली, जांधिया) धारण करते हैं। इन सभी में घुंघरू टंके हुए जांधिया और

भारीरिक सौश्टव (मार्शल आर्ट) वाले मूवमेन्ट अधिकान्तः पाये गये हैं। इस प्रकार से इसकी वेगभूशा में धोती

गंजी के ऊपर घुंघरू टंके हुए चुस्त जांधिया जो विभिन्न रंगों से सजा होता है तथा भारीर पर अंगरखा या दुपट्टा होता है। साथ ही कुछ कलाकार इस नृत्य को प्रस्तुत करते समय साथ-साथ बांसुरी भी बजाते हैं।

नृत्य की शुरुआत खुले मैदान में खड़े वादकों द्वारा वाद्य यंत्रों के वादन से होती है। नृत्य के लिए लगभग 6 डिसिमल मैदान की आवश्यकता होती है। जिससे नर्तक को अपनी कला दिखाने के लिए भरपूर जगह मिल जाती है। वाद्य यंत्रों के लय के साथ नर्तकों का प्रवेग होता है। इसके बाद वाद्य यंत्रों और नृत्य की गति तीव्र हो जाती है। इसके बाद मुख्य गायक गायन शुरु करता है। गायन का मुख्य विशय भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़े प्रसंगों का वर्णन है। गायन के उपरान्त नर्तक अभिनय करता हुआ नृत्य करता है।

नृत्य के दौरान नर्तक भारीरिक सौश्टव का प्रदर्शन भी करते हैं। लाठियों के सहारे तरह-तरह के करतब नृत्य के समय किया जाता है। लाठी के उपर चढना, उसको भांजना, कांधे पर लाठी रखकर उसपर दूसरे नर्तक का चढकर बांसुरी बजाना, नृत्य करना इत्यादि भी शामिल होता है। एक प्रकार से यह भारीरिक करतब का प्रदर्शन भी है।

इस नृत्य के प्रस्तुतिकरण में लाठियों का प्रयोग करतब को शामिल करने के लिए किया जाता है। कहीं-कहीं नर्तक फूल की थाली की बारी (किनारे) पर, सिर पर घड़ा लेकर नृत्य करना और इसी प्रकार के अन्य करतबों को नृत्य में शामिल करते हैं। इसमें प्रयुक्त वाद्यों में ढोलक, नगाड़ा, टिमकी, करताल अर्थात् फार (बैलों के हल में लोहे का फार प्रयुक्त होता है) आदि मुख्य हैं।

लोक परम्पराओं के अन्य नृत्यों की तरह ही इसका मनुष्य के जीवन के साथ नजदीक का सम्बन्ध है। आज के तेजी से बदल रहे सामाजिक परिवेश में अस्तित्व के संकट से जूझते हुए ये अपनी पहचान बनाये रखने के लिए प्रयत्नशील है।

8. Who are the bearers and practitioners of the element/Cultural Traditions? Are there any specific roles or categories of persons with special responsibilities for the practice and transmission of it? If yes, who are they and what are their responsibilities?
- योजना के प्रस्तावित सांस्कृतिक विरासत/परम्परा के तत्त्वों के अधिकारी व्यक्ति और अभ्यासी कौन हैं ? क्या इन व्यक्तियों की कोई विशेष भूमिका है या कोई विशेष दायित्व है इस परम्परा और प्रथा के अभ्यास एवं अगली पीढ़ी को संचरण के निमित्त ? अगर है तो वो कौन हैं और उनका दायित्व क्या है।

1. यह नृत्य यादव समुदाय का जातीय नृत्य है। अतः इस पारम्परिक नृत्य के अधिकारी व्यक्ति और अभ्यासी यादव समाज के लोग हैं।
2. इस जाति के लोग अशिक्षित थे। इस लोक नृत्य का कोई लिखित विधान नहीं है। यह पारम्परिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानान्तरित हुआ है।
3. यह लोक नृत्य वर्तमान में समाज में आंगिक रूप से ही सुरक्षित है क्योंकि बदलते समय के हिसाब से ये

अपने को पिछड़ा महसूस करते हैं और रोजी-रोटी के लिए अन्य पेशों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। एक तरफ पारिवारिक पेशा ही समाप्त हो रहा है तो दूसरी तरफ अपने पारम्परिक नृत्य को समाज के उच्च वर्ग द्वारा निम्न दृष्टि से देखे जाने या आत्म सम्मान न पा पाने के कारण इससे दूर हो रहे हैं और अगली पीढ़ी को पर्याप्त रूप से इसके लिए प्रमोट नहीं कर रहे हैं।

4. इनकी पारम्परिक लोक संस्कृति और नृत्य को बचाने और सुरक्षित रखने का दायित्व इनके द्वारा तभी सम्भव हो सकेगा जब इन्हें अर्थोपार्जन और सम्मान के साथ-साथ समाज और सरकार का पर्याप्त संरक्षण दिया जायेगा।

(इनके लोक पारम्परिक विधा को अगली पीढ़ी में स्थानान्तरित करने का दायित्व पूरा करने के लिए इन्हें समर्थन और सम्बल प्रदान करने के लिए अनेकों प्रयास जबर्दस्त ढंग से लम्बे समय तक करने होंगे।)

9. How are the knowledge and skills related to the element transmitted today?
ज्ञान और हुनर/कुशलता का वर्तमान में संचारित तत्वों के साथ क्या अंतर सम्बन्ध है ?

- इस सांस्कृतिक विरासत के लोग जातीय समुदाय विशेष से सम्बन्ध रखते हैं जो समाज के सर्वथा अशिक्षित वर्ग से रहे हैं, परन्तु केवल पारम्परिक ज्ञान के सहारे इनकी विधा का हुनर और कुशलता देख कर अचम्भा होता है।
- इनकी हुनर और कुशलता के आगे 'ज्ञान' शब्द फीका पड़ जाता है। इनकी विधा के सन्दर्भ में ज्ञान इनके पारम्परिक अभ्यास का कुशल परिचायक है और इसके लिए इन्हें किसी उच्च शिक्षा को प्राप्त करने के लिए किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय की आवश्यकता नहीं होती। ये पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार और प्रकृति के आंगन में अपने पुरखों के और बड़ों के संरक्षण में स्वतःस्फूर्त अभ्यास से न केवल कुशल बल्कि इतने पारंगत हो जाते हैं जो किसी उच्च प्रशिक्षण वाले महाविद्यालय द्वारा प्राप्त करना मुश्किल जान पड़ता है।
- ज्ञान का सम्बन्ध शास्त्रज्ञता से है और हुनर तथा कुशलता का सम्बन्ध लोकज्ञता से है। शास्त्रज्ञता ने लोकज्ञता को पर्याप्त सम्मान नहीं दिया है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आज के वर्तमान आधुनिक समाज में इन पारम्परिक कलाओं की स्थिति कसी है, यहीं जान लेना पर्याप्त होगा। विकल्प केवल यही शेष है कि इस 'ज्ञान' को इसके पारम्परिक विद्यालय में ही समय रहते सवॉर लिया जाय और इस हुनर की निरन्तरता बनायी रखी जाए।

10. What social functions and cultural meanings do the element/cultural tradition have today for its community?
आज वर्तमान में सम्बंधित समुदाय के लिए इन तत्वों का सामाजिक व सांस्कृतिक आयोजन क्या मायने रखता है ?

अन्य प्रान्तों में लोक संस्कृति को समाज का पर्याप्त संरक्षण मिला, जबकि भोजपुरी क्षेत्र में गरीबी ज्यादा रही और लोग रोजी-रोटी के लिए संघर्षरत रहे और समाज का पर्याप्त समर्थन नहीं मिला। इसलिए आज वर्तमान

में यह समुदाय अपने इन पारम्परिक लोक तत्वों का सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रकाशन/आयोजन के लिए अत्यधिक दुख दर्द का सामना कर रहा है।

एक तरफ पूर्व की पीढ़ी के आंखों में अपनी लोक परम्परा को खो देने की पीड़ा स्पष्ट दिखाई दे रही है। तो दूसरी तरफ पेट के लिए अगली पीढ़ी को इसे अपनाने के लिए जोर नहीं देना चाहते। पारिवारिक पैग़ा ही जब समाप्त हो रहा हो और रोजी-रोटी का संकट पैदा हो गया हो तो धन प्रधान समाज में य पारम्परिक सन्दर्भों में अपने दायित्व से विमुख होने के लिए मजबूर हैं। हांलाकि बातों-बातों में यह स्वीकार करते हैं कि यदि इन्हें रोजी-रोटी की सुरक्षा, सम्मान और इनका हित सुरक्षित रहे तो ये अपनी लोक पारम्परिक विधाओं को संजोने और उसे आगे बढ़ाने के लिए काफी हद तक तैयार हैं।

11. Is there any part of the element that is not compatible with existing international human rights instruments or with the requirement of mutual respect among communities, groups and individuals, or with sustainable development? i.e. describe any aspect of the element/cultural tradition that may be unacceptable to Law of the country or may be in opposition to practicing community's harmony with others.

क्या योजना के प्रस्तावित सांस्कृतिक विरासत/परम्परा के तत्वों में ऐसा कुछ है जिसे प्रतिपादित अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार के मानकों के प्रतिकूल माना जा सकता है या फिर जिसे समुदाय, समूह या किसी व्यक्ति के आपसी सम्मान को ठेस पहुँचती हो या फिर वे उनके स्थाई विकास को बाधित करते हों, क्या प्रस्तावित योजना के तावत या फिर सांस्कृतिक परम्परा में ऐसा कुछ है जो देश के कानून या फिर उनसे जुड़े समुदाय के समन्वय को या दूसरों को क्षति पहुँचाती हो? विवाद खड़ा करती हो?

प्रस्तावित सांस्कृतिक विरासत/परम्परा के तत्वों में ऐसा कुछ भी नहीं है।

12. Your Project's contribution to ensuring visibility, awareness and encouraging dialogue related to the element/cultural tradition.

प्रस्तावित सांस्कृतिक विरासत/परम्परा की योजना क्या उससे सम्बंधित संवाद के लिए पारदर्शिता, सजगता और प्रोत्साहन को सुनिश्चित करती है

बदलते परिवेश में सामाजिक ताना-बाना इस कदर बदल गया है कि जांधिया नृत्य जैसे पारम्परिक लोक नृत्यों की कद्र समाप्त हो गयी है। इससे भारत की परम्परागत लोक संस्कृति को भी क्षति पहुँची है।

जांधिया नृत्य का कोई लिखित साहित्य या पुस्तक नहीं है। यह मौखिक रूप से एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाता रहा है। इसके वादय यन्त्र, गायकी और नृत्य को देखकर ही बच्चों के मन पर इसके संस्कार पड़ते जाते थे और वे सहजता से इसे आत्मसात कर लेते थे। इस जाति के पारिवारिक समारोहों में किया

जाने वाला जांधिया नृत्य बदलते परिवेश में पीछे छूटा जा रहा है।

इसका मुख्य कारण है इनके पैतृक व्यवसाय का खत्म होना। आजीविका के लिए दूसरे व्यवसाय को

अपनाना और भाहर की ओर पलायन। दूसरी ओर मनोरंजन के आधुनिक साधनों को बढ़ना। इससे इस समुदाय के सम्मुख पेट भरने की और सम्मानजनक जीवन जीने की समस्या आ खड़ी हुई है।

जांधिया नृत्य को आज भी जो लोग कर रहे हैं वे आशंकित हैं कि वे कितने दिन तक इसे जीवित रख

सकेंगे, क्योंकि इसके कलाकार गिने चुने हैं और अगली पीढ़ी अब इसे सीखना नहीं चाहती।

प्रस्तावित सांस्कृतिक विरासत/परम्परा की योजना से इन कलाकारों की आंखों में कुछ आशा उत्पन्न होने के सम्भावना है। उन्हें भी ऐसा लगता है कि इस प्रकार की योजना से उनका कुछ संरक्षण किया जाय तो उनकी यह मरती विधा बच जायेगी।

जांधिया नृत्य के पारम्परिक स्वरूप को यदि पर्याप्त मंच दिया जाय और इसे बचाने का यथेष्ट प्रयास किया जाय। इसे प्रदर्शित और ख्याति दिलायी जाय तो यह समाज के अन्य लोगों का भी ध्यान आकृष्ट करेगी। समुदायों और राज्यों के बीच संवाद को बढ़ायेगी।

जांधिया नृत्य लोक जीवन की एक जीवन्त विधा है जो फैलेगी तो प्रकाश फैलायेगी। इसके लिए आवश्यक है कि इन परम्परागत लोक कलाकारों को हर सहायता देकर प्रोत्साहित किया जाय और उनकी विधा का संवर्धन किया जाय। उसके इतिहास को गहराई से समझा जाय और इनकी पारम्परिक कला का भाोध-प्रलेखन लिपिबद्ध किया जाय।

समाज को इस बात के लिए जागरूक होना चाहिए कि अपनी लोक परम्पराओं और विधाओं को जीवित रखकर ही अपने अतीत को जीवित रख सकते हैं। इसलिए हमारे वर्तमान के निर्माण में इसकी सशक्त भूमिका है। हम जो आज हैं वह एक दिन में घटित घटना नहीं, अनवरत परिवर्तन की श्रृंखला की कड़ी भर हैं।

उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर यह बात स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है कि प्रस्तावित योजना सम्बन्धित परम्परा से संवाद के लिए पर्याप्त पारदर्शिता, सजगता और प्रोत्साहन को सुनिश्चित करती है।

13. Information about the safeguarding measures that may protect or promote the element/cultural tradition.

(Write “Yes” in one or more boxes to identify the safeguarding measures that have been and are currently being taken by the communities, groups or individuals concerned)

() transmission, particularly through formal and non-formal education

() identification, documentation, research

() preservation, protection

() promotion, enhancement

() revitalization

योजना के प्रस्तावित सांस्कृतिक विरासत/परम्परा के तत्त्वों के संरक्षण के लिए उठाए जाने वाले उपायों/कदमों/प्रयासों के बारे जानकारी में जो उसको संरक्षित या संवर्धित कर सकते हैं।

उल्लेखित उपाय/उपायों को पहचान कर चिन्हित करें जिसे वर्तमान में सम्बंधित समुदायों, समूहों, और व्यक्तियों द्वारा अपनाया जाता है।

1. औपचारिक एवं अनापचारिक तरीके से प्रशिक्षण (संचरण)

हां, इस पारम्परिक लोक विधा के संरक्षण/संवर्धन में शिक्षा एक महत्वपूर्ण उपकरण साबित हो सकती है

और इसके लिए औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों तरीके के प्रशिक्षण लाभकारी होंगे।

2. पहचान, दस्तावेजीकरण एवं शोध

हां, इसकी व्यापक स्तर पर खोज, पहचान एवं भाोधपूर्ण प्रलेखन एवं प्रकाशन से इसका पर्याप्त प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए।

3. रक्षण एवं संरक्षण

हां, इसे बचाने के लिए इनके सामाजिक हितों एवं रोजी-रोटी की उपलब्धता की दिशा में कुछ समर्थन देना चाहिए, जिससे इनके पारम्परिक स्वरूप का रक्षण एवं संरक्षण सम्भव हो सके।

4. संवर्धन एवं बढ़ावा

हां, इन लोक विधाओं को अत्यधिक संवर्धन एवं बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से इनकी कला के विकास हेतु पर्याप्त माहौल मिल सके। ऐसी सुविधाएं, कार्यशालाएं, मंचीय प्रदर्शन और इन्हें संवारने के सभी उपायों को अपनाने की आवश्यकता है।

5. पुनरुद्धार/पुनर्जीवन

हां, इनकी अनगढ़ता को संवारने के साथ ही साथ इसे पुनर्जीवन प्रदान करने के लिए इन्हें वैश्वीभूषा, वाद्य यन्त्र, आर्थिक सहायता, सीढ़ी दर सीढ़ी उन्नत स्थिति प्राप्त करने हेतु कार्यशालाओं का आयोजन एवं पर्याप्त सहायता, समर्थन, आर्थिक सम्बल, प्रोत्साहन और मार्गदर्शन कर इसका पुनरुद्धार किया जा सकता है।

14. Write about the measures taken at local, state and national level by the Authorities to safeguard the element/cultural tradition?
स्थानीय, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर योजना के प्रस्तावित सांस्कृतिक विरासत परम्परा के तत्त्वों के संरक्षण के लिए अधिकारियों ने क्या उपाय किये उनका विवरण दें ?

स्थानीय स्तर पर प्रशासन, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर कई ऐसे विभाग एवं सरकारी संस्थायें हैं जिनके कार्य क्षेत्र में इस प्रकार के सांस्कृतिक विरासत एवं परम्परा के तत्त्वों के संरक्षण का दायित्व आता है।

परन्तु उनके द्वारा इस दिशा में क्या ठोस उपाय किये गये हैं। इसकी समुचित जानकारी इनके द्वारा ही उपलब्ध हो सकती है, जिसका कोई विवरण हमें प्राप्त नहीं हो सका है। यदा कदा इन इकाईयों द्वारा इस दिशा में कुछ कार्यक्रमों का आयोजन दिखाई दे जाता है, परन्तु इससे इसकी भलाई के उपाय 'ऊँट के मुँह में जीरा' के समान ही सम्भव हो सका है। अतः इस दिशा में सभी को पर्याप्त विचार एवं कदम उठाने की आवश्यकता है।

15. Write about the threats, if any, to the element/cultural tradition related to its practice, visibility and future longevity. Give facts and relevant reasons based on the current scenario.
योजना के प्रस्तावित सांस्कृतिक विरासत/परम्परा के तत्त्वों के व्यवहार, जीवन्तता और भविष्य को क्या खतरे हैं ? वर्तमान परिदृश्य के उपलब्ध साक्ष्यों और सम्बंधित कारणों का ब्यौरा दें।

प्रस्तावित सांस्कृतिक विरासत/परम्परा के तत्त्वों के व्यवहार, जीवन्तता और भविष्य को कई प्रकार के खतरे दिखाई पड़ रहे हैं—

- 1- परम्परागत कलाकारों द्वारा आजीविका हेतु अपने पैतृक कार्यों से विलग होना, जिससे इस विधा के अस्तित्व को भी खतरा है।
- 2- अगली पीढ़ी द्वारा इन परम्पराओं को न अपनाए जाने से इन विधाओं के विलुप्त होने का खतरा है।
- 3- पारम्परिक सामाजिक बन्धनों का क्षीर्ण होना जिसमें पहले इन विधा क कलाकारों की महत्वपूर्ण सामाजिक सहभागिता हुआ करती थी।
- 4- व्यवसायीकरण के दौर में मनोरंजन के बढ़ते अन्यान्य साधनों के कारण जन समुदाय का इन विधाओं को विस्मृत और उपेक्षित किया जाना।
- 5- सरकार और अन्य संगठनों द्वारा इन परम्परागत कलाकारों को लाभ न पहुँचना।

- 6- बदलते दौर के साथ इन विधाओं के पारम्परिक स्वरूप में तेजी से बदलाव का होना जिससे इसके मूल स्वरूप को क्षति हुई है।
उपरोक्त कारणों से इस पारम्परिक तत्वों के व्यवहार, जीवन्तता और भविष्य को खतरा है

16. Safeguarding measures proposed

(This section should identify and describe safeguarding measures to protect and promote the element/cultural tradition. Such measures should be concrete and can be implemented to formulate future cultural policy for safeguarding and promoting the element/cultural tradition in the state).

संरक्षण के क्या उपाय अपनाने के सुझाव हैं ?

(इसमें उन उपायों के पहचान कर उनकी चर्चा करें जिससे के प्रस्तावित सांस्कृतिक विरासत/परम्परा के तत्वों के संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा मिल सके/ये उपाय ठोस हों जिसे भविष्य की सांस्कृतिक नीति के साथ आत्मसात किया जा सके ताकि के प्रस्तावित सांस्कृतिक विरासत/परम्परा के तत्वों का राज्य स्तर पर संरक्षण किया जा सके।)

- 1- इन जातीय परम्पराओं को सुरक्षित रखने के लिए इन्हे व्यापक प्रचार प्रसार के द्वारा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और इनके दस्तावेजीकरण के लिए खोज एवं पहचान के साथ शोधपूर्ण आलेखन और उसका प्रकाशन किया जाना चाहिए।
- 2- समाज में इसके व्यवहारिक स्वरूप को बचाए रखने के लिए इन दलों को वर्तमान समय अनुरूप शिक्षण-प्रशिक्षण और इनकी कला के माध्यम से आर्थिक संरक्षण प्रदान की जानी चाहिए।
- 3- इनका संवर्धन इस प्रकार करना होगा जिससे ये अपने को उपेक्षित न महसूस करें और इस कला को अपनाये रखने में वे आत्मसम्मान का अनुभव करें।
- 4- अगली पीढ़ी इस विधा को अपनाने के लिए उत्साहित हो, ऐसे कार्यक्रमों को लम्बे समय तक संचालित करना और इसमें इनकी भागीदारी को प्रोत्साहन देने के लिए सविधाएँ प्रदान करना होगा।
- 5- स्थानीय/ राज्य /राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर इनके प्रदर्शनों/आयोजनों को बढ़ावा देना होगा।
- 6- इनके स्तर में सुधार के लिए इन्हे वेश-भूषा, वाद्य यंत्र, उन्नत स्थिति प्राप्त करने हेतु कार्यशालायें एवं इसी प्रकार की अन्य सुविधाएँ प्रदान करनी होंगी।

17. Community Participation

(Write about the participation of communities, groups and individuals related to the element/cultural tradition in formulation of your project).

सामुदायिक सहभागिता

(प्रस्तावित सांस्कृतिक विरासत/परम्परा के तत्वों के संरक्षण की योजना में समुदाय, समूह, व्यक्ति

की

सहभागिता के बारे में लिखें)

प्रस्तावित योजना का संरक्षण का सबसे अहम हिस्सा समुदाय/ समुह और व्यक्ति की सहभागिता पर निर्भर है।

टूटती सामाजिक कड़ियों ने इन विधाओं को भारी क्षति पहुंचाई है। सामाजिक स्तर पर यदि इनके हिस्से का

सम्बल और आत्मसम्मान प्राप्त होता रहे तो यह इन कलाकारों के लिए संजीवनी सिद्ध होगी।

बदले हुए सामाजिक परिवेश में पहले की तरह सामाजिक रीति-रिवाजों में इसका चलन समाप्ती के कगार पर

है। अतः इस समुदाय के लोगों और इन कलाकारों/दलों को मंच देने के अवसर की वृद्धि करने पर ही

इनकी सहभागिता में बढ़ोत्तरी हो सकती है।

18. Concerned community organization(s) or representative(s)

(Provide detailed contact information for each community organization or representative or other non-governmental organization that is concerned with the element such as associations, organizations, clubs, guilds, steering committees, etc.)

- i. Name of the entity
- ii. Name and title of the contact person
- iii. Address
- iv. Telephone number
- v. E-mail
- vi. Other relevant information.

सम्बंधित समुदाय के संघटन(नों) या प्रतिनिधि(यों) (प्रस्तावित सांस्कृतिक विरासत/परम्परा के तत्त्वों से जुड़े

हर समुदायिक संगठन या प्रतिनिधि या अन्य गैर सरकारी संस्था जैसे की एसोसिएशन, आर्गेनाइजेशन, क्लब,

गिल्ड, सलाहकार समिति, स्टीयरिंग समिति आदि)

- 1- संस्था /कम्पनी/ हस्ती का नाम
- 2- सम्बंधित/ अधिकारी व्यक्ति का नाम पदनाम व संपर्क
- 3- पता
- 4- फोन नंबर : मोबाइल न. :
- 5- ईमेल :
- 6- अन्य सम्बंधित जानकारी

कृपया देखें संलग्नक संख्या-1

इस पारम्परिक कला के व्यक्ति सर्वथा अशिक्षित वर्ग से रहें हैं। अतः प्रारम्भ से ही केवल इस विधा पर केंद्रित कोई संगठन नहीं है। कुछ जगहों पर इनकी जातिगत यूनियन आदि हो सकती है जो किसी भी प्रकार से इस सांस्कृतिक विरासत/ परम्परा के प्रस्तावित योजना के दृष्टिकोण से कोई कार्य नहीं करती।

ऐस में जो कलाकार एवं दल इस विधा के प्रदर्शन में संलग्न हैं वहीं इस बिन्दू के सही प्रतिनिधि हैं जिनकी सूची एवं विवरण संलग्नक संख्या 1 पर प्रस्तुत है।

19. Give information of any Inventory, database or data creation centre (local/state/national) that you may be aware of or of any office, agency, organisation or body involved in the maintenance of the said inventory etc.

किसी मौजूदा इन्वेंटरी, डेटाबेस या डाटा क्रिएशन सेंटर (स्थानीय/राज्यकीय/राष्ट्रीय) की जानकारी जिसका आपको पता हो या आप किसी कार्यालय, एजेंसी, आर्गेनाइजेशन या व्यक्ति की जानकारी को इस तरह की सूची को संभल कर रखता हो उसकी जानकारी दें।

- 1- इस प्रकार की कोई भी जानकारी अभी तक अप्राप्य है।
- 2- इस योजना के तहत किये जा रहे कार्यों से इस प्रकार की सूचना संकलित होने की उम्मीद सर्वथा उपयुक्त है।
- 3- वर्तमान में हमारे द्वारा किये गये कार्य से जिन व्यक्तियों की जानकारी एकत्र हुई है (संलग्नक संख्या-1) उन्हें हम व्यवस्थित रखते हुए आने वाले समय में उत्तरोत्तर वृद्धि करेंगे।

20. Principal published references or documentation available on the element/cultural tradition (Books, articles, audio-visual materials, names and addresses of reference libraries, museums, private endeavours of artistes/individuals for preservation of the said element, publications or websites).

प्रस्तावित सांस्कृतिक विरासत/परम्परा के तत्त्वों से संबंधित प्रमुख प्रकाशित संदर्भ सूची या दस्तावेज (किताब, लेख, ऑडियो-विडियो-विशुअल सामग्री, लाइब्रेरी, म्यूजियम, प्राइवेट सहृदयों संग्राहकों, कलाकारों/व्यक्तियों के नाम और पते तथा वेबसाइट आदि जो सम्बंधित सांस्कृतिक विरासत/परम्परा के तत्त्वों के बारे में हों।

यह विरासत सर्वथा मौखिक परम्परा के रूप में ही है, अतः कोई किताब या महत्वपूर्ण अभिलेख प्राप्त नहीं है।


कुछ लेखकों, सुहृदय संग्राहकों में कभी-कभी इस प्रकार का कुछ कार्य किया है, जिसका वे सुरक्षित

संकलन उपलब्ध कराने में असमर्थ हैं, मगर कुछ प्रयासों से आगे ऐसे लेख एवं अन्य सामग्री उपलब्ध कराने का वादा किया है।



हस्ताक्षर : —
नाम व पदनाम : —
राजकुमार शाह (निदेशक)
संस्थान का नाम (यदि है तो) : —
समूहन कला संस्थान
पता : — एफ-6 के सामने,
रैदोपुर कालोनी,
आजमगढ़-276001
फोन न. : —
मोबाइल : — 09451565397
ईमेल : — shikharrajshah@gmail.com
वेबसाइट : —


समूहन कला संस्थान द्वारा संस्कृति मंत्रालय (भारत सरकार) एवं संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली के सहयोग/माध्यम से भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत एवं परम्पराओं/विधाओं पर किये गये कार्य के क्रम में संकलित कलाकारों का परिचय-विवरण प्रपत्र



- 1- सांस्कृतिक विरासत/परम्परा का नाम :- जांघिया नृत्य
2- संस्था/कम्पनी/हस्ती का नाम :- सुराली सरोज
3- सम्बंधित/अधिकारी व्यक्ति का नाम,
पदनाम व संपर्क :- X
4- प्रतिनिधि ग्राम, समुदाय, समूह,
परिवार एवं व्यक्ति का नाम :-
5- पता :- ग्राम-महमूदपुर, पो0-करहां
जिला-मऊ
6- फोन नंबर/मोबाइल न. :- X
7- ईमेल :- X
8- अन्य सम्बंधित जानकारी :-
(i) गुरु का नाम :- स्व0 हरमन सरोज
(ii) पिता का नाम :- स्व0 हरमन सरोज
(iii) माता का नाम :- मतिया देवी
(iv) शिक्षा :- अशिक्षित
(v) जन्मतिथि/उम्र :- 60 वर्ष
(vi) कब से संलग्न हैं :- 10 वर्ष की आयु से



समूहन कला संस्थान द्वारा संस्कृति मंत्रालय (भारत सरकार) एवं संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली के सहयोग/माध्यम से भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत एवं परम्पराओं/विधाओं पर किये गये कार्य के क्रम में संकलित कलाकारों का परिचय-विवरण प्रपत्र




- 1- सांस्कृतिक विरासत/परम्परा का नाम :- जांघिया नृत्य
- 2- संस्था/कम्पनी/हस्ती का नाम :- बिकारु राम
- 3- सम्बंधित/अधिकारी व्यक्ति का नाम,
पदनाम व संपर्क :- X
- 4- प्रतिनिधि ग्राम, समुदाय, समूह,
परिवार एवं व्यक्ति का नाम :-
- 5- पता :- ग्राम-भोजपुर, पो0-सुखपुरा
जिला-बलिया
- 6- फोन नंबर/मोबाइल न. :- 07800378895
- 7- ईमेल :- X
- 8- अन्य सम्बंधित जानकारी :-
- (i) गुरु का नाम :- स्व0 मंगनी गोंड
- (ii) पिता का नाम :- स्व0 दौलत राम
- (iii) माता का नाम :- स्व0 चिलरी
- (iv) शिक्षा :- अशिक्षित
- (v) जन्मतिथि/उम्र :- 55 वर्ष
- (vi) कब से संलग्न हैं :- 20 वर्ष की आयु से



समूहन कला संस्थान द्वारा संस्कृति मंत्रालय (भारत सरकार) एवं संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली के सहयोग/माध्यम से भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत एवं परम्पराओं/विधाओं पर किये गये कार्य के क्रम में संकलित कलाकारों का परिचय-विवरण प्रपत्र

- 1- सांस्कृतिक विरासत/परम्परा का नाम :- जांघिया/अहिरवा/फरुवा




- 2- संस्था/कम्पनी/हस्ती का नाम :- माधव राम यादव
- 3- सम्बंधित/अधिकारी व्यक्ति का नाम,
पदनाम व संपर्क :- X
- 4- प्रतिनिधि ग्राम, समुदाय, समूह,
परिवार एवं व्यक्ति का नाम :-
- 5- पता :- ग्राम-बन्दीदासपुर, पो0-बारून
जिला-फैजाबाद
- 6- फोन नंबर/मोबाइल न. :- 07376257003
- 7- ईमेल :- X
- 8- अन्य सम्बंधित जानकारी :-
- (i) गुरु का नाम :- रामचरन यादव
- (ii) पिता का नाम :- रामचरन यादव
- (iii) माता का नाम :- श्रीमती रामउरेही
- (iv) शिक्षा :- इण्टरमीडिएट
- (v) जन्मतिथि/उम्र :- 09-05-1986
- (vi) कब से संलग्न हैं :- 7 वर्षों से



समूहन कला संस्थान द्वारा संस्कृति मंत्रालय (भारत सरकार) एवं संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली के सहयोग/माध्यम से भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत एवं परम्पराओं/विधाओं पर किये गये कार्य के क्रम में संकलित कलाकारों का परिचय-विवरण प्रपत्र


- 1- सांस्कृतिक विरासत/परम्परा का नाम :- जांधिया/अहिरवा/फरुवा



- 2- संस्था/कम्पनी/हस्ती का नाम :- इन्द्र बहादुर यादव
- 3- सम्बंधित/अधिकारी व्यक्ति का नाम,
पदनाम व संपर्क :- X
- 4- प्रतिनिधि ग्राम, समुदाय, समूह,
परिवार एवं व्यक्ति का नाम :-
- 5- पता :- पुलिस लाइन मन्दिर, कमरा
नम्बर-सी0-6
जिला-फैजाबाद
- 6- फोन नंबर/मोबाइल न. :- 09415717418
- 7- ईमेल :- X
- 8- अन्य सम्बंधित जानकारी :-
- (i) गुरु का नाम :- रामअचल यादव
- (ii) पिता का नाम :- स्व0 भीतला प्रसाद यादव
- (iii) माता का नाम :- स्व0 नइका देवी
- (iv) शिक्षा :- कक्षा-5
- (v) जन्मतिथि/उम्र :- 07-04-1974
- (vi) कब से संलग्न हैं :- 20 वर्षों से




समूहन कला संस्थान द्वारा संस्कृति मंत्रालय (भारत सरकार) एवं संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली के सहयोग/माध्यम से भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत एवं परम्पराओं/विधाओं पर किये गये कार्य के क्रम में संकलित कलाकारों का परिचय-विवरण प्रपत्र



- 1- सांस्कृतिक विरासत/परम्परा का नाम :- जांघिया/अहिरवा/फरुवाही नृत्य
- 2- संस्था/कम्पनी/हस्ती का नाम :- मुके"ा
- 3- सम्बंधित/अधिकारी व्यक्ति का नाम,
पदनाम व संपर्क :- X
- 4- प्रतिनिधि ग्राम, समुदाय, समूह,
परिवार एवं व्यक्ति का नाम :-
- 5- पता :- मकान नं0-10/5/119, परिक्रमा मार्ग,
कौ"ाल्या घाट, अयोध्या, जिला-फैजाबाद
- 6- फोन नंबर/मोबाइल न. :- 09305541182
- 7- ईमेल :- X
- 8- अन्य सम्बंधित जानकारी :-
- (i) गुरु का नाम :- बजरंग लाल यादव
- (ii) पिता का नाम :- श्री मनोहर लाल
- (iii) माता का नाम :- श्रीमती कमले"ा कुमारी
- (iv) िक्षा :- एम0ए0
- (v) जन्मतिथि/उम्र :- 08-05-1985
- (vi) कब से संलग्न हैं :- 8 वर्षों स

समूहन कला संस्थान द्वारा संस्कृति मंत्रालय (भारत सरकार) एवं संगीत नाटक
अकादमी नई दिल्ली के सहयोग/माध्यम से भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत एवं
परम्पराओं/विधाओं पर किये गये कार्य के क्रम में संकलित कलाकारों का
परिचय-विवरण प्रपत्र

- 1- सांस्कृतिक विरासत/परम्परा का नाम :-
जांधिया/अहिरवा/फरुवाही नृत्य
- 2- संस्था/कम्पनी/हस्ती का नाम :- छेदी यादव
- 3- सम्बंधित/अधिकारी व्यक्ति का नाम,
पदनाम व संपर्क :- X
- 4- प्रतिनिधि ग्राम, समुदाय, समूह,
परिवार एवं व्यक्ति का नाम :-
- 5- पता :- ग्राम-बेलवां, पो0-ब्रम्हपुर, थाना-झगहां
तहसील-चौरीचौरा, जिला-गोरखपुर
- 6- फोन नंबर/मोबाइल न. :- 09935925008
- 7- ईमेल :- X
- 8- अन्य सम्बंधित जानकारी :-
- (i) गुरु का नाम :- गामा यादव
- (ii) पिता का नाम :- स्व0 श्रीराम यादव
- (iii) माता का नाम :- स्व0 भान्ति देवी
- (iv) शिक्षा :- अशिक्षित
- (v) जन्मतिथि/उम्र :- 60 वर्ष
- (vi) कब से संलग्न हैं :- 15 वर्षों से



समूहन कला संस्थान द्वारा संस्कृति मंत्रालय (भारत सरकार) एवं संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली के सहयोग/माध्यम से भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत एवं परम्पराओं/विधाओं पर किये गये कार्य के क्रम में संकलित कलाकारों का परिचय-विवरण प्रपत्र

- 1- सांस्कृतिक विरासत/परम्परा का नाम :-
जांधिया/अहिरवा/फरुवाही नृत्य
- 2- संस्था/कम्पनी/हस्ती का नाम :- रामज्ञान यादव
- 3- सम्बंधित/अधिकारी व्यक्ति का नाम,
पदनाम व संपर्क :- X
- 4- प्रतिनिधि ग्राम, समुदाय, समूह,
परिवार एवं व्यक्ति का नाम :-
- 5- पता :- ग्राम-राजी जगदी"पुर, टोला दो सौ कट्ठा
तहसील-चौरीचौरा, जिला-गोरखपुर
- 6- फोन नंबर/मोबाइल न. :- 09335561364
- 7- ईमेल :- X
- 8- अन्य सम्बंधित जानकारी :-
- (i) गुरु का नाम :- बाबू राम निशाद एवं रामधारी यादव
- (ii) पिता का नाम :- स्व० श्री का"ी यादव
- (iii) माता का नाम :- स्व० श्रीमती धर्मी देवी
- (iv) िक्षा :- कक्षा-8
- (v) जन्मतिथि/उम्र :- 60 वर्ष
- (vi) कब से संलग्न हैं :- 40 वर्षों से





Scheme for "Safeguarding the Intangible Cultural Heritage and Diverse Cultural Traditions of India"

Form for National Inventory Register of Intangible Cultural Heritage of India

भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत एवं परम्पराओं के संरक्षण की योजना का प्रपत्र

1. Name of the State
प्रस्तावित योजना का कार्यक्षेत्र राज्य

उत्तर प्रदेश
(UTTAR PRADESH)

2. Name of the Element/Cultural Tradition (in English)
योजना के प्रस्तावित सांस्कृतिक विरासत/परम्परा का नाम (क्षेत्रीय, स्थानीय, हिंदी एवं अंग्रेजी में)

कहरउवा/गोड़ऊ नृत्य
(KAHARAUVA/GONDAU DANCE)

3. Name of the element in the language and script of the community Concerned, if applicable
योजना के प्रस्तावित सांस्कृतिक विरासत/परम्परा से सम्बंधित समुदाय का भाषिक क्षेत्र और भाषा, उपभाषा तथा बोली का विवरण

भाषिक क्षेत्र – पूर्वी उत्तर प्रदेश
भाषा – भोजपुरी
उपभाषा और बोली – पश्चिमी भोजपुरी एवं कहीं-कहीं अवधी मिश्रित
भोजपुरी की तीन उपभाषाओं में से इस नृत्य में प्रयुक्त होने वाली बोली मुख्यतया पश्चिमी भोजपुरी है। लेकिन जिलेवार भोजपुरी के बोल-चाल में थोड़ा स्थानियता का भेद स्पष्ट दिखाई पड़ता है और यह भेद प्रकृतिगत कारणों से है जो पूरे भारत में पायी जाती हैं।

4. Name of the communities, groups or, if applicable, individuals concerned (Identify clearly either of these concerned with the practice of the said element/cultural tradition)
योजना के प्रस्तावित सांस्कृतिक विरासत/परम्परा से स्पष्ट रूप से सम्बंधित प्रतिनिधि ग्राम, समुदाय, समूह, परिवार एवं व्यक्ति का नाम एवं संपर्क (विवरण अलग से संलग्न करें)

प्रतिनिधि ग्राम – पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेक गांव
समुदाय एवं समूह – कहार एवं गोंड जाति के लोग
परिवार एवं व्यक्ति का नाम एवं संपर्क – व्यक्तियों के नाम, ग्राम एवं पता आदि विवरण अलग से संलग्न है।

संलग्नक संख्या – C-1

5. Geographical location and range of the element/cultural tradition (Please write about the other states in which the said element/tradition is present.
योजना के प्रस्तावित सांस्कृतिक विरासत/परम्परा के तत्त्वों की जीवंतता का विस्तारित भौगोलिक क्षेत्र (ग्राम, प्रदेश, राज्य, देश, महादेश आदि) जिनमें उनका अस्तित्व है/पहचान है।

उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वी प्रदेश के विभिन्न जनपदों के विभिन्न ग्रामों में, देश-भारत (INDIA)

6. Identification and definition of the element/cultural tradition of the India (Write “Yes” in one or more boxes to identify the domain(s) of intangible cultural heritage manifested by the element. If you tick ‘others’, specify the domain(s) in brackets.)

- i. (✓) oral traditions and expressions, including language as a vehicle of the intangible cultural heritage
ii. (✓) performing arts
iii. (✓) social practices, rituals and festive events

iv. () knowledge and practices concerning nature and the universe

v. () traditional craftsmanship

vi. () other(s)

योजना के प्रस्तावित सांस्कृतिक विरासत/परम्परा की पहचान एवं उसकी परिभाषा/उसका विवरण

1. ✓ मौखिक परम्पराएं एवं अभिव्यक्तियाँ (भाषा इनमें अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के एक वाहक के रूप में है)
2. ✓ प्रदर्शनकारी कलाएं
3. ✓ सामाजिक रीति-रिवाज, प्रथाएँ, चलन, परम्परा, संस्कार, एवं उत्सव आदि
4. प्रकृति एवं जीव-जगत के बारे में ज्ञान एवं परिपाटी व अनुशीलन प्रथाएं
5. पारंपरिक शिल्पकारिता
6. अन्यान्य

इस परम्परा की पहचान मौखिक रूप से ही है। यह श्रम से उपजा प्रदर्शनकारी लोक विधा है जिसे इन जातियों ने अपने घर के रस्म-रिवाज एवं अन्य मौकों पर प्रस्तुत करने लगे।

7. Provide a brief summary description of the element that can introduce it to readers who have never seen or experienced it
कृपया योजना के प्रस्तावित सांस्कृतिक विरासत/परम्परा का एक रुचिपूर्ण सारगर्भित संक्षिप्त परिचय दें।

कहरउवा नृत्य भोजपुरी क्षेत्र के लोक नृत्य परम्परा में सांस्कृतिक जीवन की एक जीवन्त रस धारा है। लोक जीवन में लोकरंजन से ज्यादा य ग्रामीणों के जीवन में उल्लास भरने का काम करते हैं। अपने नाम के अनुरूप "कहरउवा नृत्य" कहार और गोंड़ जाति द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। इस जाति विशेष का काम डोली ढोना, पानी भरना एवं दाना भूनना (गोंड़) है। यह नृत्य जाति विशेष के भुभ व मांगलिक अवसरों पर किया जाता है।

इस जाति के लोग अशिक्षित थे। अतः जाति समुदाय के लोग काम काज परिश्रम आदि से जब फुर्सत पाते थे तो लोकरंजन के लिए इस नृत्य का विकास हुआ, जिसे इन जातियों ने अपने जातिय रीति-रिवाज, संस्कार एवं उत्सव आदि में करने लगे। इस परम्परा की पहचान मौखिक ही है। स्थानीय सूत्रों से इस परम्परा की पहचान और स्थानीय नागरिकों में इसका चलन है जो सामाजिक सहचर्य कायम करने में ये अपनी भूमिका निभाती है। स्थानीय भाशाओं में गाये जाने वाले इसके गीत अपने परिवेश और सामाजिक ढांचे के ताने-बाने को बखूबी बयां करते हैं। नृत्य में इनके जातिगत रूप से किये जाने वाले कार्य की छाप दिखाई देती है। कुछ विद्वानों का मानना है कि कहार और गोंड़ जाति के ये नृत्य दो अलग-अलग भाखाएं हैं। मगर इसमें पर्याप्त समानताएं देखने को मिल रही हैं। इस पारम्परिक नृत्य में प्रयुक्त होने वाले वाद्य में 'हुड़का' ही प्रमुख वाद्य है, जो कहार और गोंड़ जाति दोनों में एक समान है। इस परम्परा के लोग इस नृत्य का उद्भव भगवान भांकर से मानते हैं क्योंकि हुड़का हुबहु डमरू जैसा ही डमरू से बड़े आकार का एक वाद्य है जो सिहोर की लकड़ो से बना होता है, जिस पर चमड़ा रस्सी के सहारे मढ़ा होता है और रस्सी के खिंचवा से इसकी आवाज भी बदलती है।

इस परम्परा के लोग मानते हैं कि भांकर जी के डमरू बजाने से जिस महेवर सूत्र की उत्पत्ति हुई है, वहीं से इस हुड़का की उत्पत्ति हुई है।

इस नृत्य में हुड़का के अतिरिक्त ढोलक, झाल (मजीरा) आदि वाद्य भी बजाये जाते हैं। नृत्य में पुरुष ही स्त्री का पेगा धरते हैं और एक विदुशक पात्र भी होता है जिसे लबार कहते हैं। इनके गीतों में समाज की कुरीतियों, विसंगतियों, भोशण आदि पर व्यंग्य भी होता है और अपनी पीड़ा का स्वतःस्फूर्त, इजहार भी है। इनके गीतों में देवी-देवता की स्तुति आदि भी होती है। ऐसी मान्यता है कि उच्च जाति के लोग पुत्र प्राप्ति की कामना से मनौती मानते थे और गंगा किनारे मां आंचल फैलाती थी और उसपर ये लोग नृत्य करते हैं। तभी मनौती पूरी मानी जाती है। इस प्रकार से यह नृत्य सामाजिक एकीकरण के सूत्र के रूप में देखी जा

सकती है। इस अशिक्षित समाज इनकी यह परम्परा केवल वाचिक रूप में ही है।

वर्तमान में इस जातिय समुदाय के कुछ सीमित लोग ही अपनी इस पारम्परिक विधा को आंगिक रूप से अपनाये हुए हैं क्योंकि वो सामाजिक बदलाव के साथ-साथ सामंजस्य का अभाव महसूस कर रहे हैं और उपेक्षित जीवन जी रहे हैं। अपनी पारम्परिक नृत्य के प्रति उन्हें सम्मान और रोजी-रोटी का अभाव जान पड़ता है। अतः इसे बचाने के लिए इनकी सुरक्षा और हित का माहौल पैदा करना होगा।

8. Who are the bearers and practitioners of the element/Cultural Traditions? Are there any specific roles or categories of persons with special responsibilities for the practice and transmission of it? If yes, who are they and what are their responsibilities?
- योजना के प्रस्तावित सांस्कृतिक विरासत/परम्परा के तत्वों के अधिकारी व्यक्ति और अभ्यासी कौन हैं ? क्या इन व्यक्तियों की कोई विशेष भूमिका है या कोई विशेष दायित्व है इस परम्परा और प्रथा के अभ्यास एवं अगली पीढ़ी को संचरण के निमित्त ? अगर है तो वो कौन हैं और उनका दायित्व क्या है।

1. यह नृत्य कहाँ एवं गोंड समुदाय का जातिय नृत्य है। अतः इस पारम्परिक नृत्य के अधिकारी व्यक्ति और अभ्यासी कहाँ एवं गोंड जाति के लोग हैं।
2. इस जाति के लोग अशिक्षित थे। इस लोक नृत्य का कोई लिखित विधान नहीं है। यह पारम्परिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानान्तरित हुआ है।
3. यह लोक नृत्य वर्तमान में समाज में आंगिक रूप से ही सुरक्षित है क्योंकि बदलते समय के हिसाब से ये अपने को पिछड़ा महसूस करते हैं और रोजी-रोटी के लिए अन्य पेगों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। एक तरफ पारिवारिक पेगा ही समाप्त हो रहा है तो दूसरी तरफ अपने पारम्परिक नृत्य को समाज के उच्च वर्ग द्वारा निम्न दृष्टि से देखे जाने या आत्म सम्मान न पा पाने के कारण इससे दूर हो रहे हैं और अगली पीढ़ी को पर्याप्त रूप से इसके लिए प्रमोट नहीं कर रहे हैं।
4. इनकी पारम्परिक लोक संस्कृति और नृत्य को बचाने और सुरक्षित रखने का दायित्व इनके द्वारा तभी सम्भव हो सकेगा जब इन्हें अर्थोपार्जन और सम्मान के साथ-साथ समाज और सरकार का पर्याप्त संरक्षण दिया जायेगा।

(इनके लोक पारम्परिक विधा को अगली पीढ़ी में स्थानान्तरित करने का दायित्व पूरा करने के लिए इन्हें समर्थन और सम्बल प्रदान करने के लिए अनेकों प्रयास जबर्दस्त ढंग से लम्बे समय तक करने होंगे।)

9. How are the knowledge and skills related to the element transmitted today?

ज्ञान और हुनर/कुशलता का वर्तमान में संचारित तत्वों के साथ क्या अंतर सम्बन्ध है ?

- इस सांस्कृतिक विरासत के लोग जातीय समुदाय विशेष से सम्बन्ध रखते हैं जो समाज के सर्वथा अशिक्षित वर्ग से रहे हैं, परन्तु केवल पारम्परिक ज्ञान के सहारे इनकी विधा का हुनर और कुशलता देख कर अचम्भा होता है।
- इनकी हुनर और कुशलता के आगे 'ज्ञान' शब्द फीका पड़ जाता है। इनकी विधा के सन्दर्भ में ज्ञान इनके पारम्परिक अभ्यास का कुशल परिचायक है और इसके लिए इन्हें किसी उच्च शिक्षा को प्राप्त करने के लिए किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय की आवश्यकता नहीं होती। ये पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार और प्रकृति के आंगन में अपने पुरखों के और बड़ों के संरक्षण में स्वतःस्फूर्त अभ्यास से न केवल कुशल बल्कि इतने पारंगत हो जाते हैं जो किसी उच्च प्रशिक्षण वाले महाविद्यालय द्वारा प्राप्त करना मुश्किल जान पड़ता है।
- ज्ञान का सम्बन्ध शास्त्रज्ञता से है और हुनर तथा कुशलता का सम्बन्ध लोकज्ञता से है। शास्त्रज्ञता ने लोकज्ञता को पर्याप्त सम्मान नहीं दिया है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आज के वर्तमान आधुनिक समाज में इन पारम्परिक कलाओं की स्थिति कैसी है, यहीं जान लेना पर्याप्त होगा। विकल्प केवल यही शेष है कि इस 'ज्ञान' को इसके पारम्परिक विद्यालय में ही समय रहते सवाँर लिया जाय और इस हुनर की निरन्तरता बनायी रखी जाए।

10. What social functions and cultural meanings do the element/cultural tradition have today for its community?

आज वर्तमान में सम्बंधित समुदाय के लिए इन तत्वों का सामाजिक व सांस्कृतिक आयोजन क्या मायने रखता है ?

अन्य प्रान्तों में लोक संस्कृति को समाज का पर्याप्त संरक्षण मिला, जबकि भोजपुरी क्षेत्र में गरीबी ज्यादा रही और लोग रोजी-रोटी के लिए संघर्षरत रहे और समाज का पर्याप्त समर्थन नहीं मिला। इसलिए आज वर्तमान में यह समुदाय अपने इन पारम्परिक लोक तत्वों का सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रकाशन/आयोजन के लिए अत्यधिक दुख दर्द का सामना कर रहा है।

एक तरफ पूर्व की पीढ़ी के आंखों में अपनी लोक परम्परा को खो देने की पीड़ा स्पष्ट दिखाई दे रही है। तो दूसरी तरफ पेट के लिए अगली पीढ़ी को इसे अपनाने के लिए जोर नहीं देना चाहते। पारिवारिक पैगाम ही जब समाप्त हो रहा हो और रोजी-रोटी का संकट पैदा हो गया हो तो धन प्रधान समाज में ये पारम्परिक सन्दर्भों में अपने दायित्व से विमुख होने के लिए मजबूर

हैं। हालांकि बातों-बातों में यह स्वीकार करते हैं कि यदि इन्हें रोजी-रोटी की सुरक्षा, सम्मान और इनका हित सुरक्षित रहे तो ये अपनी लोक पारम्परिक विधाओं को संजोने और उसे आगे बढ़ाने के लिए काफी हद तक तैयार हैं।

11. Is there any part of the element that is not compatible with existing international human rights instruments or with the requirement of mutual respect among communities, groups and individuals, or with sustainable development? i.e. describe any aspect of the element/cultural tradition that may be unacceptable to Law of the country or may be in opposition to practicing community's harmony with others.

क्या योजना के प्रस्तावित सांस्कृतिक विरासत/परम्परा के तत्वों में ऐसा कुछ है जिसे प्रतिपादित अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार के मानकों के प्रतिकूल माना जा सकता है या फिर जिसे समुदाय, समूह या किसी व्यक्ति के आपसी सम्मान को ठेस पहुँचती हो या फिर वे उनके स्थाई विकास को बाधित करते हों, क्या प्रस्तावित योजना के तावत या फिर सांस्कृतिक परम्परा में ऐसा कुछ है जो देश के कानून या फिर उनसे जुड़े समुदाय के समन्वय को या दूसरों को क्षति पहुँचाती हो? विवाद खड़ा करती हो?

प्रस्तावित सांस्कृतिक विरासत/परम्परा के तत्वों में ऐसा कुछ भी नहीं है।

12. Your Project's contribution to ensuring visibility, awareness and encouraging dialogue related to the element/cultural tradition.

प्रस्तावित सांस्कृतिक विरासत/परम्परा की योजना क्या उससे सम्बंधित संवाद के लिए पारदर्शिता, सजगता और प्रोत्साहन को सुनिश्चित करती है

बदलते परिवे"ा में सामाजिक ताना-बाना इस कदर बदल गया है कि कहरउवा नृत्य जैसे पारम्परिक लोक नृत्यों की कद्र समाप्त हो गयी है। इससे भारत की परम्परागत लोक संस्कृति को भी क्षति पहुँची है।

इस नृत्य का कोई लिखित साहित्य या पुस्तक नहीं है। यह मौखिक रूप से एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाता रहा है। इसके वाद्य यन्त्र, गायकी और नृत्य को देखकर ही बच्चों के मन पर इसके संस्कार पड़ते जाते थे और वे सहजता से इसे आत्मसात कर लेते थे। इस जाति के पारिवारिक समारोहों में किया जाने वाला यह नृत्य बदलते परिवे"ा में पीछे छूटा जा रहा है।

इसका मुख्य कारण है इनके पैतृक व्यवसाय का खत्म होना। आजीविका के लिए दूसरे व्यवसाय को अपनाना और भाहर की ओर पलायन। दूसरी ओर मनोरंजन के आधुनिक साधनों को बढ़ाना। इससे इस समुदाय के सम्मुख पेट भरने की और सम्मानजनक जीवन जीने की समस्या आ खड़ी हुई है।

कहरउवा/गोंडू नृत्य को आज भी जो लोग कर रहे हैं वे आ"ांकित हैं कि वे कितने दिन तक इसे जीवित रख सकेंगे, क्योंकि इसके कलाकार गिने चुने हैं और अगली पीढ़ी अब इसे सीखना नहीं चाहती।

प्रस्तावित सांस्कृतिक विरासत/परम्परा की योजना से इन कलाकारों की आंखों में कुछ आशा उत्पन्न होने के सम्भावना है। उन्हें भी ऐसा लगता है कि इस प्रकार की योजना से उनका कुछ संरक्षण किया जाय तो उनकी यह मरती विधा बच जायेगी।

इस नृत्य के पारम्परिक स्वरूप को यदि पर्याप्त मंच दिया जाय और इसे बचाने का यथेष्ट प्रयास किया जाय। इसे प्रदर्शित और ख्याति दिलायी जाय तो यह समाज के अन्य लोगों का भी ध्यान आकृष्ट करेगी। समुदायों और राज्यों के बीच संवाद को बढ़ायेगी।

यह नृत्य लोक जीवन को एक जीवन्त विधा है जो फैलेगी तो प्रकाश फैलायेगी। इसके लिए आवश्यक है कि इन परम्परागत लोक कलाकारों को हर सहायता देकर प्रोत्साहित किया जाय और उनकी विधा का संवर्धन किया जाय। उसके इतिहास को गहराई से समझा जाय और इनकी पारम्परिक कला का भाोध-प्रलेखन लिपिबद्ध किया जाय।

समाज को इस बात के लिए जागरूक होना चाहिए कि अपनी लोक परम्पराओं और विधाओं को जीवित रखकर ही अपने अतीत को जीवित रख सकते हैं। इसलिए हमारे वर्तमान के निर्माण में सक्रिय भूमिका है। हम जो आज हैं वह एक दिन में घटित घटना नहीं, अनवरत परिवर्तन की श्रृंखला की कड़ी भर हैं।

उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर यह बात स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है कि प्रस्तावित योजना सम्बन्धित परम्परा से संवाद के लिए पर्याप्त पारदर्शिता, सजगता और प्रोत्साहन को सुनिश्चित करती है।

13. Information about the safeguarding measures that may protect or promote the element/cultural tradition.

(Write "Yes" in one or more boxes to identify the safeguarding measures that have been and are currently being taken by the communities, groups or individuals concerned)

- () transmission, particularly through formal and non-formal education
- () identification, documentation, research
- () preservation, protection
- () promotion, enhancement
- () revitalization

योजना के प्रस्तावित सांस्कृतिक विरासत/परम्परा के तत्वों के संरक्षण के लिए उठाए जाने वाले उपायों/कदमों/प्रयासों के बारे जानकारी में जो उसको संरक्षित या संवर्धित कर सकते हैं।

उल्लेखित उपाय/उपायों को पहचान कर चिन्हित करें जिसे वर्तमान में सम्बन्धित समुदायों, समूहों, और व्यक्तियों द्वारा अपनाया जाता है।

1. औपचारिक एवं अनापचारिक तरीके से प्रशिक्षण (संचरण)

हां, इस पारम्परिक लोक विधा के संरक्षण/संवर्धन में शिक्षा एक महत्वपूर्ण उपकरण साबित हो

सकती है और इसके लिए औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों तरीके के प्रशिक्षण लाभकारी होंगे।

2. पहचान, दस्तावेजीकरण एवं शोध

हां, इसकी व्यापक स्तर पर खोज, पहचान एवं भाोधपूर्ण प्रलेखन एवं प्रकाशन से इसका पर्याप्त प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए।

3. रक्षण एवं संरक्षण

हां, इसे बचाने के लिए इनके सामाजिक हितों एवं रोजी-रोटी की उपलब्धता की दिशा में कुछ समर्थन देना चाहिए, जिससे इनके पारम्परिक स्वरूप का रक्षण एवं संरक्षण सम्भव हो सके।

4. संवर्धन एवं बढ़ावा

हां, इन लोक विधाओं को अत्यधिक संवर्धन एवं बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से इनकी कला के विकास हेतु पर्याप्त माहौल मिल सके। ऐसी सुविधाएं, कार्यशालाएं, मंचीय प्रदर्शन और इन्हें संवारने के सभी उपायों को अपनाने की आवश्यकता है।

5. पुनरुद्धार/पुनर्जीवन

हां, इनकी अनगढ़ता को संवारने के साथ ही साथ इसे पुनर्जीवन प्रदान करने के लिए इन्हें वेभूशा, वाद्य यन्त्र, आर्थिक सहायता, सीढ़ी दर सीढ़ी उन्नति स्थिति प्राप्त करने हेतु कार्यशालाओं का आयोजन एवं पर्याप्त सहायता, समर्थन, आर्थिक सम्बल, प्रोत्साहन और मार्गदर्शन कर इसका पुनरुद्धार किया जा सकता है।

14. Write about the measures taken at local, state and national level by the Authorities to safeguard the element/cultural tradition?

स्थानीय, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर योजना के प्रस्तावित सांस्कृतिक विरासत परम्परा के तत्वों के संरक्षण के

लिए अधिकारियों ने क्या उपाय किये उनका विवरण दें ?

स्थानीय स्तर पर प्रशासन, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर कई ऐसे विभाग एवं सरकारी संस्थायें हैं जिनके कार्य क्षेत्र में इस प्रकार के सांस्कृतिक विरासत एवं परम्परा के तत्वों के संरक्षण का दायित्व आता है। परन्तु उनके द्वारा इस दिशा में क्या ठोस उपाय किये गये हैं। इसकी समुचित जानकारी इनके द्वारा ही उपलब्ध हो सकती है, जिसका कोई विवरण हमें प्राप्त नहीं हो सका है। यदा कदा इन इकाईयों द्वारा इस दिशा में कुछ कार्यक्रमों का आयोजन दिखाई दे जाता है, परन्तु इससे इसकी भलाई के उपाय 'ऊँट के मुँह में जीरा के समान' ही सम्भव हो सका है। अतः इस दिशा में सभी को पर्याप्त विचार एवं कदम उठाने की आवश्यकता है।

15. Write about the threats, if any, to the element/cultural tradition related to its practice, visibility and future longevity. Give facts and relevant reasons based on the current scenario.

योजना के प्रस्तावित सांस्कृतिक विरासत/परम्परा के तत्त्वों के व्यवहार, जीवन्तता और भविष्य को क्या खतरा है ? वर्तमान परिदृश्य के उपलब्ध साक्ष्यों और सम्बंधित कारणों का ब्यौरा दें।

प्रस्तावित सांस्कृतिक विरासत/परम्परा के तत्त्वों के व्यवहार, जीवन्तता और भविष्य को कई प्रकार के खतरे दिखाई पड़ रहे हैं—

- 1- परम्परागत कलाकारों द्वारा आजीविका हेतु अपने पैतृक कार्यों से विलग होना, जिससे इस विधा के अस्तित्व को भी खतरा है।
 - 2- अगली पीढ़ी द्वारा इन परम्पराओं को न अपनाए जाने से इन विधाओं के विलुप्त होने का खतरा है।
 - 3- पारम्परिक सामाजिक बन्धनों का क्षीर्ण होना जिसमें पहले इन विधा के कलाकारों की महत्वपूर्ण सामाजिक सहभागिता हुआ करती थी।
 - 4- व्यवसायीकरण के दौर में मनोरंजन के बढ़ते अन्यान्य साधनों के कारण जन समुदाय का इन विधाओं को विस्मृत और उपेक्षित किया जाना।
 - 5- सरकार और अन्य संगठनों द्वारा इन परम्परागत कलाकारों को लाभ न पहुँचना।
 - 6- बदलते दौर के साथ इन विधाओं के पारम्परिक स्वरूप में तेजी से बदलाव का होना जिससे इसके मूल स्वरूप को क्षति हुई है।
- उपरोक्त कारणों से इस पारम्परिक तत्त्वों के व्यवहार, जीवन्तता और भविष्य को खतरा है

16. Safeguarding measures proposed

(This section should identify and describe safeguarding measures to protect and promote the element/cultural tradition. Such measures should be concrete and can be implemented to formulate future cultural policy for safeguarding and promoting the element/cultural tradition in the state).

संरक्षण के क्या उपाय अपनाने के सुझाव हैं ?

(इसमें उन उपायों के पहचान कर उनकी चर्चा करें जिससे के प्रस्तावित सांस्कृतिक विरासत/परम्परा के तत्त्वों के संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा मिल सके/ये उपाय ठोस हों जिसे भविष्य की सांस्कृतिक नीति के साथ आत्मसात किया जा सके ताकि के प्रस्तावित सांस्कृतिक विरासत/परम्परा के तत्त्वों का राज्य स्तर पर संरक्षण किया जा सके।)

- 1- इन जातीय परम्पराओं को सुरक्षित रखने के लिए इन्हे व्यापक प्रचार प्रसार के द्वारा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और इनके दस्तावेजीकरण के लिए खोज एवं पहचान के साथ शोधपूर्ण आलखन और उसका प्रकाशन किया जाना चाहिए।
- 2- समाज में इसके व्यवहारिक स्वरूप को बचाए रखने के लिए इन दलों को वर्तमान समय अनुरूप शिक्षण-प्रशिक्षण और इनकी कला के माध्यम से आर्थिक संरक्षण प्रदान की जानी

चाहिए।

- 3- इनका संवर्धन इस प्रकार करना होगा जिससे ये अपने को उपेक्षित न महसूस करें और इस कला को अपनाये रखने में वे आत्मसम्मान का अनुभव करें।
- 4- अगली पीढ़ी इस विधा को अपनाने के लिए उत्साहित हो, ऐसे कार्यक्रमों को लम्बे समय तक संचालित करना और इसमें इनकी भागीदारी को प्रोत्साहन देने के लिए सुविधाएँ प्रदान करना होगा।
- 5- स्थानीय/ राज्य /राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर इनके प्रदर्शनों/आयोजनों को बढ़ावा देना होगा।
- 6- इनके स्तर में सुधार के लिए इन्हे वेश-भूषा, वाद्य यंत्र, उन्नत स्थिति प्राप्त करने हेतु कार्यशालायें एवं इसी प्रकार की अन्य सुविधाएँ प्रदान करनी होंगी।

17. Community Participation

(Write about the participation of communities, groups and individuals related to the element/cultural tradition in formulation of your project).

सामुदायिक सहभागिता

(प्रस्तावित सांस्कृतिक विरासत/परम्परा के तत्त्वों के संरक्षण की योजना में समुदाय, समूह, व्यक्ति की सहभागिता के बारे में लिखें)

प्रस्तावित योजना का संरक्षण का सबसे अहम हिस्सा समुदाय/ समुह और व्यक्ति की सहभागिता पर निर्भर

है।

टूटती सामाजिक कड़ियों ने इन विधाओं को भारी क्षति पहुंचाई है। सामाजिक स्तर पर यदि इनके हिस्से का

सम्बल और आत्मसम्मान प्राप्त होता रहे तो यह इन कलाकारों के लिए संजीवनी सिद्ध होगी।

बदले हुए सामाजिक परिवेश में पहले की तरह सामाजिक रीति-रिवाजों में इसका चलन समाप्ती के कगार पर

है। अतः इस समुदाय के लोगों और इन कलाकारों/दलों को मंच देने के अवसर की वृद्धि करने पर ही

इनकी सहभागिता में बढ़ोत्तरी हो सकती है।

18. Concerned community organization(s) or representative(s)

(Provide detailed contact information for each community organization or representative or other non-governmental organization that is concerned with the element such as associations, organizations, clubs, guilds, steering committees, etc.)

- i. Name of the entity
- ii. Name and title of the contact person
- iii. Address
- iv. Telephone number
- v. E-mail

vi. Other relevant information.

सम्बंधित समुदाय के संघठन(नों) या प्रतिनिधि(यों) (प्रस्तावित सांस्कृतिक विरासत/परम्परा के तत्त्वों से जुड़े हर समुदायिक संगठन या प्रतिनिधि या अन्य गैर सरकारी संस्था जैसे की एसोसिएशन, आर्गेनाइजेशन, क्लब, गिल्ड, सलाहकार समिति, स्टीयरिंग समिति आदि)

1- संस्था /कम्पनी/ हस्ती का नाम

2- सम्बंधित/ अधिकारी व्यक्ति का नाम पदनाम व संपर्क

3- पता

4- फोन नंबर : मोबाइल न. :

5- ईमेल :

6- अन्य सम्बंधित जानकारी

कृपया देखें संलग्नक संख्या-1

इस पारम्परिक कला के व्यक्ति सर्वथा अशिक्षित वर्ग से रहें हैं। अतः प्रारम्भ से ही केवल इस विधा पर केंद्रित

कोई संगठन नहीं है। कुछ जगहों पर इनकी जातिगत यूनियन आदि हो सकती है जो किसी भी प्रकार से इस सांस्कृतिक विरासत/ परम्परा के प्रस्तावित योजना के दृष्टिकोण से कोई कार्य नहीं करती। ऐसे में जो कलाकार एवं दल इस विधा के प्रदर्शन में संलग्न हैं वहीं इस बिन्दू के सही प्रतिनिधि हैं जिनकी सूची एवं विवरण संलग्नक संख्या 1 पर प्रस्तुत है।

19. Give information of any Inventory, database or data creation centre (local/state/national) that you may be aware of or of any office, agency, organisation or body involved in the maintenance of the said inventory etc.

किसी मौजूदा इन्वेंटरी, डेटाबेस या डाटा क्रिएशन सेंटर (स्थानीय/राज्यकीय/राष्ट्रीय) की जानकारी जिसका आपको पता हो या आप किसी कार्यालय, एजेंसी, आर्गेनाइजेशन या व्यक्ति की जानकारी को इस तरह की सूची को संभल कर रखता हो उसकी जानकारी दें।

1- इस प्रकार की कोई भी जानकारी अभी तक अप्राप्य है।

2- इस योजना के तहत किये जा रहे कार्यों से इस प्रकार की सूचना संकलित होने की उम्मीद सर्वथा उपयुक्त है।

3- वर्तमान में हमारे द्वारा किये गये कार्य से जिन व्यक्तियों की जानकारी एकत्र हुई है (संलग्नक संख्या-1) उन्हें हम व्यवस्थित रखते हुए आने वाले समय में उत्तरोत्तर वृद्धि करेंगे।

20. Principal published references or documentation available on the element/cultural tradition (Books, articles, audio-visual materials, names and addresses of reference libraries, museums,

private endeavours of artistes/individuals for preservation of the said element, publications or websites).

प्रस्तावित सांस्कृतिक विरासत/परम्परा के तत्त्वों से संबंधित प्रमुख प्रकाशित संदर्भ सूची या दस्तावेज़ (किताब, लेख, ऑडियो-विशुअल सामग्री, लाइब्रेरी, म्यूजियम, प्राइवेट सहृदयों संग्राहकों, कलाकारों/ध्व्यक्तियों के नाम और पते तथा वेबसाइट आदि जो सम्बंधित सांस्कृतिक विरासत/परम्परा के तत्त्वों के बारे में हों।

यह विरासत सर्वथा मौखिक परम्परा के रूप में ही है, अतः कोई किताब या महत्वपूर्ण अभिलेख प्राप्त नहीं

है।

कुछ लेखकों, सुहृदय संग्राहकों में कभी-कभी इस प्रकार का कुछ कार्य किया है, जिसका वे सुरक्षित

संकलन उपलब्ध कराने में असमर्थ हैं, मगर कुछ प्रयासों से आगे ऐसे लेख एवं अन्य सामग्री उपलब्ध

कराने का वादा किया है।

हस्ताक्षर : —

नाम व पदनाम : — राजकुमार शाह
(निदेशक)

संस्थान का नाम (यदि है तो) : — समूहन कला
संस्थान

पता : — एफ-6 के सामने,
रैदोपुर कालोनी,
आजमगढ़-276001

फोन न. : — —————

मोबाइल : — 09451565397

ईमेल : — shikharrajshah@gmail.com

वेबसाइट : — —————

समूहन कला संस्थान द्वारा संस्कृति मंत्रालय (भारत सरकार) एवं संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली के सहयोग/माध्यम से भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत एवं परम्पराओं/विधाओं पर किये गये कार्य के क्रम में संकलित कलाकारों का परिचय-विवरण प्रपत्र



- 1- सांस्कृतिक विरासत/परम्परा का नाम :- कहरउवा/गोंडू नृत्य
- 2- संस्था/कम्पनी/हस्ती का नाम :- राममूरत प्रजापति
- 3- सम्बंधित/अधिकारी व्यक्ति का नाम,
पदनाम व संपर्क :- X
- 4- प्रतिनिधि ग्राम, समुदाय, समूह,
परिवार एवं व्यक्ति का नाम :-
- 5- पता :- ग्राम-बेला, पो0-जगत बेला,
जिला-गोरखपुर
- 6- फोन नंबर/मोबाइल न. :- 09919252060
- 7- ईमेल :- X
- 8- अन्य सम्बंधित जानकारी :-
 - (i) गुरु का नाम :- स्व0 लगन गोंड
 - (ii) पिता का नाम :- स्व0 चुनमुन
 - (iii) माता का नाम :- स्व0 तीजा
 - (iv) शिक्षा :- अशिक्षित
 - (v) जन्मतिथि/उम्र :- 57 वर्ष
 - (vi) कब से संलग्न हैं :- 1977 से


समूहन कला संस्थान द्वारा संस्कृति मंत्रालय (भारत सरकार) एवं संगीत नाटक
अकादमी नई दिल्ली के सहयोग/माध्यम से भारत की अमूर्त
सांस्कृतिक विरासत एवं परम्पराओं/विधाओं पर किये गये कार्य के
क्रम में संकलित कलाकारों का परिचय-विवरण प्रपत्र



- 1- सांस्कृतिक विरासत/परम्परा का नाम :- कहरउवा/गोंडू नृत्य
- 2- संस्था/कम्पनी/हस्ती का नाम :- भीतला प्रसाद वर्मा
- 3- सम्बंधित/अधिकारी व्यक्ति का नाम,
पदनाम व संपर्क :- X
- 4- प्रतिनिधि ग्राम, समुदाय, समूह,
परिवार एवं व्यक्ति का नाम :-
- 5- पता :- ग्राम-”गाहजहांपुर,
देवकाली रोड, जिला-फैजाबाद
- 6- फोन नंबर/मोबाइल न. :- 09935130553
- 7- ईमेल :- X
- 8- अन्य सम्बंधित जानकारी :-
 - (i) गुरु का नाम :- स्व० श्री निवास दास
 - (ii) पिता का नाम :- श्री फूलचन्द वर्मा
 - (iii) माता का नाम :- श्रीमती राजकली वर्मा
 - (iv) शिक्षा :- स्नातक
 - (v) जन्मतिथि/उम्र :- 18-11-1968
 - (vi) कब से संलग्न हैं :- 11 वर्षों से

समूहन कला संस्थान द्वारा संस्कृति मंत्रालय (भारत सरकार) एवं संगीत नाटक
अकादमी नई दिल्ली के सहयोग/माध्यम से भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत एवं
परम्पराओं/विधाओं पर किये गये कार्य के क्रम में संकलित कलाकारों का
परिचय-विवरण प्रपत्र

- 1- सांस्कृतिक विरासत/परम्परा का नाम :- कहरउवा/गोंडू नृत्य
- 2- संस्था/कम्पनी/हस्ती का नाम :- अभिराज गोंडू
- 3- सम्बंधित/अधिकारी व्यक्ति का नाम,
पदनाम व संपर्क :- X
- 4- प्रतिनिधि ग्राम, समुदाय, समूह,
परिवार एवं व्यक्ति का नाम :-
- 5- पता :- ग्राम-अमेठी, पो0-बिठुवां,
लालगंज, जिला-आजमगढ़
- 6- फोन नंबर/मोबाइल न. :- 09838460685
- 7- ईमेल :- X
- 8- अन्य सम्बंधित जानकारी :-
 - (i) गुरु का नाम :- स्व0 अतवारी गोंडू
 - (ii) पिता का नाम :- स्व0 बंगाली गोंडू
 - (iii) माता का नाम :- स्व0 अनारी गोंडू
 - (iv) शिक्षा :- अशिक्षित
 - (v) जन्मतिथि/उम्र :- 38 वर्ष
 - (vi) कब से संलग्न हैं :- 10 वर्षों से



समूहन कला संस्थान द्वारा संस्कृति मंत्रालय (भारत सरकार) एवं संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली के सहयोग/माध्यम से भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत एवं परम्पराओं/विधाओं पर किये गये कार्य के क्रम में संकलित कलाकारों का परिचय-विवरण प्रपत्र



- 1- सांस्कृतिक विरासत/परम्परा का नाम :- कहरउवा/गोंडू नृत्य
- 2- संस्था/कम्पनी/हस्ती का नाम :- मोहन गोंड
- 3- सम्बंधित/अधिकारी व्यक्ति का नाम,
पदनाम व संपर्क :- X
- 4- प्रतिनिधि ग्राम, समुदाय, समूह,
परिवार एवं व्यक्ति का नाम :-
- 5- पता :- ग्राम-भोजपुर, पो0-सुखपुरा
जिला-बलिया
- 6- फोन नंबर/मोबाइल न. :- 09889640549
- 7- ईमेल :- X
- 8- अन्य सम्बंधित जानकारी :-
 - (i) गुरु का नाम :- राम होला गोंड
 - (ii) पिता का नाम :- स्व0 भोलाराम गोंड
 - (iii) माता का नाम :- स्व0 राजे"वरी देवी
 - (iv) िक्षा :- हाईस्कूल
 - (v) जन्मतिथि/उम्र :- 07-07-1966
 - (vi) कब से संलग्न हैं :- 30 वर्षों से

समूहन कला संस्थान द्वारा संस्कृति मंत्रालय (भारत सरकार) एवं संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली के सहयोग/माध्यम से भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत एवं परम्पराओं/विधाओं पर किये गये कार्य के क्रम में संकलित कलाकारों का परिचय-विवरण प्रपत्र



- 1- सांस्कृतिक विरासत/परम्परा का नाम :- कहरउवा/गोंडू नृत्य
- 2- संस्था/कम्पनी/हस्ती का नाम :- रंगलाल गोड
- 3- सम्बंधित/अधिकारी व्यक्ति का नाम,
पदनाम व संपर्क :- X
- 4- प्रतिनिधि ग्राम, समुदाय, समूह,
परिवार एवं व्यक्ति का नाम :-
- 5- पता :- ग्राम-परिखरा, पो0-टीखमपुर
थाना-बांसडीह रोड, जिला-बलिया
- 6- फोन नंबर/मोबाइल न. :-08577906600 (विजय शंकर गोड़)
- 7- ईमेल :- X
- 8- अन्य सम्बंधित जानकारी :-
 - (i) गुरु का नाम :- स्व0 रघुवीर एवं स्व0 रघुनाथ
 - (ii) पिता का नाम :- स्व0 रघुनाथ
 - (iii) माता का नाम :- स्व0 फूले"वरी देवी
 - (iv) शिक्षा :- अशिक्षित
 - (v) जन्मतिथि/उम्र :- 62 वर्ष
 - (vi) कब से संलग्न हैं :- बचपन से ही पारम्परिक रूप में